

## v/; k; &III vuq kyuk ys[ kki jh{kk

—f'k foi .ku funs' kky;

3-1 iz ksx' kkyk mi dj .k dk xj & mUk; u

₹ 89-18 yk[k ds 0; ; ds ckotm] jkT; Js khdj .k iz ksx' kkyk  
1/2 Qy rFkk l fct; k/2 dk yf{kr mUk; u iklr ugha fd; k tk l dkA

राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला (फल तथा सब्जियाँ), जिसे इसके आगे प्रयोगशाला कहा गया है, की स्थापना की गई थी (जुलाई 2006) तथा कृषि विपणन निदेशालय (निदेशालय) ने जुलाई-अगस्त 2006 में, कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'फल तथा सब्जियाँ श्रेणीकरण नियम 2004' के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार फलों तथा सब्जियों के श्रेणीकरण के लिए, उपकरण (जीसीएमएस<sup>1</sup>, एचपीएलसी<sup>2</sup>, यू.वी.-वी.आई.एस<sup>3</sup>, स्पैक्ट्रोफोटोमीटर) खरीदे तथा संस्थापित किए, जो 28 प्रकार के कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण कर सकते थे।

जनवरी 2010 में, निदेशालय ने एच.पी.एल.सी. की विद्यमान पद्धति को एलसीएमएसएमएस<sup>4</sup> में उन्नयन करने का प्रस्ताव, 153 से अधिक कीटनाशकों का विश्लेषण करने तथा फलों, सब्जियों तथा अन्य कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (वि.नि.नि.), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय तथा अन्य दिशा निर्देशों (यू.एस. एफ.डी.ए<sup>5</sup> तथा ई.यू.<sup>6</sup> दिशानिर्देशों), की आवश्यकताओं को पूरा करने को दृष्टिगत करते हुए रखा। यह दावा किया गया कि उन्नयन के पश्चात्, प्रयोगशाला को (उस समय केवल दक्षिण-पूर्व एशियन देशों के लिए पंजीकृत) सभी देशों को निर्यात की जाने वाली मदों के विश्लेषण तथा सत्यापन के लिए ए.पी.इ.डी.ए<sup>7</sup> द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। ए.पी.इ.डी.ए., से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् जांच के लिए आने वाले नमूनों में वृद्धि होगी, निर्यातकों की माँग पूरी होगी तथा प्रयोगशाला देश में विशिष्ट संस्थान होगी। इस औचित्य के आधार पर, निदेशालय ने ₹ 89.18 लाख की लागत का एक 'एलसीएमएसएमएस तिहरा चौहरा' उपकरण क्रय किया जो कि जून 2010 में संस्थापित किया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नये उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के लिए इसे दिन-रात लगातार चलाये जाने की आवश्यकता थी। यद्यपि, निदेशालय उपकरण को चलाने के लिए लगातार पॉवर बैक-अप का इन्तजाम नहीं कर सका। फलस्वरूप प्रयोगशाला, मार्च 2014 तक उन्नतिशील प्रणाली का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर सकी तथा प्रयोगशाला केवल 28 कीटनाशक अवशेषों की पहचान कर रही थी, जो कि

<sup>1</sup>गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पैक्ट्रोमेट्री

<sup>2</sup>हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी

<sup>3</sup>अल्ट्रा वॉयलट विजिबल स्पैक्ट्रोस्कोपी

<sup>4</sup>लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पैक्ट्रोमेट्री

<sup>5</sup>यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन

<sup>6</sup>यूरोपियन यूनियन

<sup>7</sup>एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसड फूड एक्सपोर्ट डवैलपमेंट ऑथोरिटी

वह नये उपकरण के क्रय से पूर्व ही कर रही थी। निदेशालय ने लो.नि.वि. द्वारा एक कमरे के निर्माण तथा डीजी सैट के संस्थापन के प्रस्ताव को केवल अगस्त 2012 में अनुमोदित किया। यह भी सितम्बर 2014 तक चालू नहीं किया गया था।

इस प्रकार, निदेशालय इसके इष्टम संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना की कमी के कारण ₹ 89.18 लाख के व्यय के बावजूद, विद्यमान पद्धति, एच.पी.एल.सी. को एल.सी.एम. एस.एम.एस. में उन्नयन नहीं कर सका जिससे विभिन्न प्राधिकरणों जैसे आई.एस.ओ<sup>8</sup> ए ए.पी.ई.डी.ए तथा एन.ए.बी.एल<sup>9</sup> से प्रमाणिकता प्राप्त की जा सके, जिसके कारण वहन केवल निर्यातकों की मांगों को पूरा करने के मुख्य उद्देश्य में असफल रहा अपितु प्रयोगशाला के लक्षित उच्च स्तर तथा विशिष्टता को पाने में भी असमर्थ रहा।

निदेशालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (सितम्बर 2014) कि उपकरण संचालन में थे यद्यपि अपनी इष्टम क्षमता पर नहीं थे। क्योंकि निरंतर विद्युत आपूर्ति निश्चित नहीं थी, पॉवर ब्रेकडाउन के कारण किसी गंभीर क्षति से बचाने के लिए उपकरण को निरंतर नहीं चलाया जा सका। निदेशालय का उत्तर केवल इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है कि उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सका जैसा कि लक्षित था।

मामला, अगस्त 2014 में सरकार को प्रेषित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### f' k{kk foHkkx

3-2 fnYyh ea l jdkjh Ldnyka dk , dh—r vol j puk l qkkj ¼: i karj ½

i fj ; kstuk dks f' k{kk foHkkx ¼ f' k-fo-½ }kjk fnYyh jkT; vks| kfxd , oavol j puk fodkl fuxe ¼fn-jk-vk\$V-fo-fu-½ dks fcuk fd l h vks| pkfjd vuca/k ds l k\$ fn; k x; k rFkk dk; Z ds foLr r fooj .k ds vHkko ea f' k{kk foHkkx l fu' Pkr ugha dj l dk fd fn-jk-vk\$V-fo-fu- us ifj ; kstuk ds vrxr fn, x, l Hkh dk; Z i wZ dj fn; A i Hkkodkj h fuxjukh 0; oLFkk ugha FkhA 183 fo | ky; ka ea l s t gk fn-jk-vk\$V-fo-fu- }kjk dk; Z i wZ dj us dk nkok fd; k x; k} f' k-fo- us dpy 78 dks i wZ ik; k} 50 ixfr ij] rFkk 55 dks fo | ky; ds i kpk; Z }kjk l R; kfi r fd; k tkuk FkkA f' k-fo- us fn-jk-vk\$V-fo-fu- dks ₹ 343-13 dj kM+ fuxr fd; k} ; | fi d fcu\$ us ifj ; kstuk ds fy, dpy ₹ 272-94 dj kM+ Loh—r fd; k FkkA

शिक्षा विभाग (शि.वि.) ने दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (दि.रा.औ.अ.वि.नि.) को 'रूपान्तर' परियोजना के अन्तर्गत तीन जिलों (पूर्वी, उत्तर-पूर्वी एवं उत्तर-पश्चिमी-क) के 198 सरकारी स्कूलों में अवसंरचना के रख-रखाव एवं सुधार का कार्य सौंपा (नवम्बर 2006)। परियोजना के लिए दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा प्रस्तुत किए गए ₹ 272.94 करोड़ के बजट प्राक्कलन का अनुमोदन फरवरी 2008 में व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) द्वारा एवं मार्च 2008 में मंत्रिमण्डल द्वारा किया गया था।

<sup>8</sup> इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडरडाइजेशन

<sup>9</sup> नेशनल एकेडमीशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कॅलिब्रेशन लेबोरेट्रीज

दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा रूपान्तर के अंतर्गत बोली प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन में अनियमितताओं पर एक प्रतिवेदन नि.म.ले.प. के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं. 1 में शामिल किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की गई कि शिक्षा विभाग (शि.वि.) ने दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने की अपनी भूमिका का कितने प्रभावकारी तरीके से निर्वहन किया था। शि.वि. के मुख्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा मार्च से जुलाई 2014 के दौरान की गई तथा स्वीकृत अनुमानों के आधार पर 39 विद्यालयों<sup>10</sup> का चयन किया गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है:

### 3-2-1- vkf pkfjd vuprk , oa dk; l ds foLr'r foofj .k ds fcuk dk; l dk l kf k tkuk

दि.रा.औ.अ.वि.नि. को 'पेशगी कार्य' के आधार पर परियोजना सौंपी गई थी, हालाँकि, पेशगी कार्य के विभिन्न पहलुओं को निबंधन एवं शर्तों में रखते हुए, निदेशालय एवं दि.रा.औ.अ.वि.नि. के बीच कोई समझौता नहीं किया गया था। किसी औपचारिक समझौते के अभाव में, शि.नि. सार्वजनिक हित का रक्षोपाय करने की स्थिति में नहीं था जैसाकि आगे के पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है। शि.नि. ने कहा (जून 2014) कि समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ था क्योंकि दि.रा.औ.अ.वि.नि. दिल्ली सरकार का एक अंग है और निर्माण/नवीकरण की दरें के.लो.नि.वि. सूची दरों के अनुसार थीं। इनका दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दि.रा.औ.अ.वि.नि. एक सरकारी उपक्रम है न कि एक सरकारी विभाग।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने मेसर्स आई एल एण्ड एफ एस एजुकेशन एण्ड टेक्नॉलॉजी सर्विसेज के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 198 विद्यालयों में प्रत्येक के लिए अनुमान तैयार किए। परंतु ये मात्र वित्तीय प्रस्तावनाएँ थीं, जिनमें कार्यों के विस्तृत विषय क्षेत्र, जैसे किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों की संख्या व मात्रा सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार 'रूपांतर' परियोजना के लिए कार्य का विषयक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था।

शि.नि. ने बताया (जून 2014) कि कार्य का विषय क्षेत्र दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

### 3-2-2 ifj; kstuk i x/ku l fefr dh cBd vk; kftr ugha fd; k tkuk

परियोजना प्रबंध समिति (परि.प्र.स.), सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में अक्टूबर 2008 में मासिक आधार पर, परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। परि.प्र.स. की एकमात्र आयोजित बैठक (नवम्बर 2008) का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया था। केवल परि.प्र.स. की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, दि.रा.औ.अ.वि.नि. को 101 स्कूलों के नवीनीकरण हेतु निविदाओं को आमंत्रित करने से पूर्व उन्हें निदेशालय को दिखाने के लिए निर्देश दिया गया था। हालाँकि, इन निविदाओं से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

<sup>10</sup> ₹ 2.00 करोड़ और अधिक के अनुमान वाले 50 प्रतिशत विद्यालय (15 विद्यालय), ₹ 1.00 करोड़ और अधिक के किन्तु ₹ 2.00 करोड़ से कम अनुमान वाले 20 प्रतिशत विद्यालय (15 विद्यालय) और ₹ 1.00 करोड़ से कम के अनुमान वाले 10 प्रतिशत विद्यालय (09 विद्यालय)

इसके जवाब में, शि.नि. ने कहा (जून 2014) कि यद्यपि समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती थी, परन्तु उनके कार्यवृत्त तैयार नहीं किए गए थे तथा निविदाओं के प्रस्तुतिकरण के संबंध में, यह बताया गया कि संबद्ध अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उत्तर परियोजना की निगरानी पर परि.प्र.स. में गंभीरता की कमी होने की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को प्रमाणित करता है।

### 3-2-3 dk; kī eṣ njh vfkok mudk xj -l eki u

किसी औपचारिक समझौते के न होने के कारण, परियोजना के पूर्ण होने के लिए कोई निर्धारित समयसीमा नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने जनवरी से मार्च 2012 के बीच 183 विद्यालयों के सम्बन्ध में समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। शि.नि. ने सभी प्रधानाचार्यों को दि.स.औ.अ.नि.नि. द्वारा पूर्ण होने का दावे किए गए कार्यों का सत्यापन करने को कहा। उपरोक्त 183 विद्यालयों में से मात्र 128 विद्यालयों का प्रधानाचार्यों द्वारा सत्यापन किया गया, जिनमें से मात्र 78 विद्यालयों में कार्य पूर्ण किया गया था और अन्य 50 में प्रगति पर था, जो यह दर्शाता है कि दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने समापन रिपोर्टों में गलत तथ्य दर्शाए। अतः जून 2014 तक 105 विद्यालयों<sup>11</sup> में कार्य प्रगति पर था या प्रधानाचार्यों द्वारा सत्यापन शेष था।

शि.नि. (जून 2014) ने बताया कि बार-बार निर्देशों के बावजूद दि.रा.औ.अ.वि.नि. कार्य पूर्ण नहीं कर पाया और विलम्ब हेतु कारण बताने में असमर्थ था। फिर भी यह तथ्य ही है कि शि.नि. एक औपचारिक समझौता न होने के कारण कार्य पूर्ण कराने में असफल रहा।

### 3-2-4 fn-jk-vkšv-fo-fu- dks ₹ 70 djkm+dk vfu; fer Hkxrkku fd; k tkuk

मंत्रिमंडल ने ₹ 272.94 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ इस परियोजना को अनुमोदित किया था, जिसमें से 50 प्रतिशत का भुगतान संस्वीकृति के समय एवं शेष 50 प्रतिशत का वि.अ. से समापन प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति पर किया जाना था। हालाँकि, अभिलेखों से यह प्रदर्शित होता था कि मंत्रिमंडल अनुमोदन का उल्लंघन करते हुए वि.अ. से समापन प्रमाण-पत्रों को बिना प्राप्त किए ही दि.रा.औ.अ.वि.नि. को फरवरी 2011 तक ₹ 194 करोड़ का भुगतान जारी किया गया था। आगे यह पाया गया कि, दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने जून 2011 में ₹ 371.64 करोड़ के संशोधित अनुमान को प्रस्तुत किया था एवं ₹ 177.64 करोड़ के शेष भुगतान को जारी करने हेतु निवेदन किया था। शि.नि. की अक्टूबर 2011 में कुल भुगतान को ₹ 258.14 करोड़ (13 स्कूलों के लिए ₹ 14.80 करोड़ के धनराशि की कटौती करने के पश्चात्, जहाँ पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था) सीमित करते हुए ₹ 64.14 करोड़ जारी किये थे। जब दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने शेष ₹ 98.70 करोड़ को जारी करने के लिए पुनः निवेदन किया तो शि.नि. ने मार्च 2012 में मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमोदन पर ₹ 85 करोड़ जारी किया, यद्यपि न तो मंत्रिमण्डल के द्वारा संस्वीकृति में संशोधन किया गया था और न ही सभी स्कूल अध्यक्षों से समापन रिपोर्टों को प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, बिना मंत्रिमंडल की अनुमति के दि.रा.औ.अ.वि.नि. को जारी किया गया ₹ 70.19 करोड़ (₹ 343.13 करोड़ - ₹ 272.94 करोड़) अनियमित था।

<sup>11</sup>50 विद्यालयों में कार्य अपूर्ण और 55 विद्यालयों में सत्यापन शेष था।

अपने जवाब में, शि.नि. ने कहा (जून 2014) कि संशोधित अनुमान के लिए अनुमोदन उस समय प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि दि.रा.ओ.अ.वि.नि. के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू थी। इनका जवाब युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि भुगतान जारी होने से दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति और न ही सभी वि.अ. से समापन रिपोर्ट प्राप्त की गई थी।

### 3-2-5 वि.अ.ओ.अ.वि.नि. को 198 सरकारी स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन हेतु किराये पर लिया गया था। यद्यपि अभिलेखों की संवीक्षा से, निम्नांकित कमियों का पता चला:

(i) जुलाई/अगस्त 2011 में योजना विभाग द्वारा परियोजना हेतु किए गए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, 14 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने सूचित किया कि कार्य संतोषजनक था, 33 प्रतिशत ने आंशिक संतुष्टि व्यक्त की और 53 प्रतिशत अपने स्कूलों में निष्पादित किए गए कार्य से संतुष्ट नहीं थे।

(ii) 39 चयनित स्कूलों में से, 36 विद्यालयों के अभिलेखों को लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया गया। अभिलेखों की जाँच और लेखापरीक्षा दल एवं विद्यालय के वि.अ. द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षणों से बहुत-सी कमियों का पता चला 3-1½ प्रमुख कमियाँ शौचालयों, क्रीडा-स्थलों, वर्षा जल की नालियों, पथों के विकास कार्यों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं बागवानी कार्य के क्षेत्रों में पायी गई थीं। इस परियोजना के तहत स्कूलों में पानी के शुद्धिकरण हेतु रीवर्स ओस्मोसिस सिस्टम (आर.ओ.) लगाए जाने थे, लेकिन दि.रा.ओ.अ.वि. नि. ने किसी भी चयनित स्कूल में आर.ओ. तंत्र नहीं लगाया था।

इस प्रकार औपचारिक समझौता न होने और कार्य का विस्तृत विषय क्षेत्र न होने के कारण शि.नि. यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि दि.रा.ओ.अ.वि.नि. द्वारा, ₹ 343.13 करोड़ जारी करने के बावजूद, परियोजना में परिकल्पित सभी कार्यों को पूर्ण किया गया। इसमें से ₹ 70.19 करोड़ मंत्रिमण्डल की मंजूरी के बगैर जारी किए गए। प्रभावी निगरानी नहीं थी क्योंकि पीएमसी नियमित रूप से बैठक नहीं करती थी।

मामले को जनवरी 2015 में सरकार के पास भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### LokLF; vkj i fjokj dY; k.k foHkkx

3-3 ₹ 1-26 djkm+ dk fu"Qy 0; ;

xq rx cgnj vLi rky ea fufer pkj u; s vkokl h; caxys i kjp l svfekd o"kk& rd dke ea ugha yk, x, ftl ds dkj.k bu caxyka ds fuekZk ea ₹ 1-26 djkm+ dk 0; ; fu"Qy Fkka

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 का नियम 21 कहता है कि लोक निधि से व्यय या व्यय को अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिये।

अगस्त 2005 में, लो.नि.वि. ने निदेशक, प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक आदि के लिये अस्पताल परिसर में चार बंगलों के (टाईप VI) निर्माण हेतु ₹ 68.16 लाख के प्रारंभिक

अनुमान को प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति (प्र.अ.औ.व्य.सं.) हेतु चिकित्सा अधीक्षक (चि.अ.), जीटीबी अस्पताल को प्रस्तुत किया। हिस्ट्री रिपोर्ट में (अनुमान के अंश के रूप) यह उल्लेखित किया गया कि, भवनों की आवश्यकता चि.अ., जीटीबी द्वारा उनके कक्ष में की गयी बैठकों में उठायी गयी। यद्यपि, अभिलेखों में न तो अस्पताल से औपचारिक प्रस्ताव/ माँग और न ही बैठकों के कार्यवृत्त, जिसमें चि.अ., जीटीबी ने भवनों की आवश्यकता बतायी थी, उपलब्ध थीं। फिर भी, चि. अ., जीटीबी ने (मार्च 2006) ₹ 68.16 लाख के प्र.अ.औ.व्य. सं. को स्वीकृति दी जो बाद में वित्त विभाग की सहमति से संशोधित होकर दिसंबर 2008 में ₹ 1.34 करोड़ हो गयी। बंगलों का निर्माण सितम्बर 2008 में ₹ 1.26 करोड़ की कुल लागत पर पूरा हुआ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा दर्शाती है कि लो.नि.वि. ने अप्रैल 2009 में चि.अ., जीटीबी से नये निर्मित बंगलों को अधिकार में लेने का अनुरोध किया। यद्यपि, अस्पताल ने चि.अ., जीटीबी द्वारा नामित टीम के निरीक्षण करने के बाद फरवरी 2010 में बंगलों को अधिकार में लिया।

पुनः यह देखा गया कि प्रधानाचार्य, यूसीएमएस<sup>12</sup> तथा चि.अ., जीटीबी ने व्यक्तिगत कारणों से इन बंगलों में रहने में असमर्थता दिखाई। बंगले अन्य अधिकारियों को भी आबंटित नहीं किये जा सके क्योंकि इन बंगलों की कोई माँग नहीं थी। इसके फलस्वरूप (फरवरी 2010) यह निर्णय किया गया कि दो बंगलों का उपयोग 'संकाय क्लब/तनाव-मुक्ति कक्ष' की तरह और शेष दो का उपयोग 'गेस्ट हाउस' की तरह किया जाये। बंगलों के उपयोग में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए स्वा.औ.प.क.वि. को अगस्त 2011 में भेजा गया। वित्त विभाग ने प्रस्ताव को कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए वापस कर दिया (अक्टूबर 2011), लेकिन फाईल तब से गायब रही (सितम्बर 2014)। इससे आगे, अस्पताल ने इन भवनों का रख-रखाव और निगरानी को सुनिश्चित नहीं किया, क्योंकि वर्तमान में इनकी स्थिति खराब है।

पाँच वर्षों से अधिक बंगलों को काम में न लाया जाना, केवल यह प्रकट करता है कि बंगले बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के निर्मित किये गये तथा इन बंगलों के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल था।

मामला अगस्त 2014 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

; -r , oa fi Yk foKku I 1Fkku

3-4 I 1Fkku ds fctus ekMy I s fopyu

I 1Fkku vius fctus ekMy I s fopfyrgks x; k D; kfd ; g vius I xdk;  
I nL; ka dks , d , deqr I 1Fkku vius i dst ds ctk; fu; fer orueku  
o HkYks dk Hkxrk dj jgk FkkA ef=eMy dk vupknu i klr fd; s fcuk  
LVkQ dks ns njka I s vf/kd ij jktLo fgLI k ekMy ds fo: ) edku  
fdjk; k HkYkk o okE'kd vfhkof) rFkk I xdk; I nL; ka dks xj -0; ogk; Z HkYkk  
fn; k x; kA

यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (संस्थान) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी के रूप में अक्टूबर 2002 में पंजीकृत हुआ, जिसका उद्देश्य वहन करने योग्य

<sup>12</sup>चिकित्सा विज्ञान के महाविद्यालय

लागत पर विश्व स्तरीय रोगी की देखरेख, यकृत एवं पित रोगों पर अनुसंधान, स्नातकोत्तर/पोस्ट डॉक्टरेट स्तर पर शिक्षण व प्रशिक्षण, इत्यादि प्रदान करना था। इस संस्थान का प्रबन्धन व प्रशासन कार्यकारी परिषद (का.प.) के द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. है। का.प. के सदस्यों में प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (स्वा. एवं. प. क.) व चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल है। इस संस्थान का वित्त पोषण प्रमुखतः अपने संसाधनों तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान से होता है।

अस्पताल सेवाएँ परामर्श निगम (अ.से.प.नि.) ने संस्थान के लिए एक बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसे मंत्रिमंडल द्वारा मई 2006 में अनुमोदित किया गया था। इस बिजनेस मॉडल के अनुसार, संस्थान के सभी चिकित्सकों व स्टाफ को चार वर्षों के लिए संविदा के आधार पर रखा जाएगा, जिसकी अवधि कार्य निष्पादन के आधार पर बढ़ाई जाएगी व वेतन ढाँचा सलाहकारों व प्रोफेसरों को छोड़कर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के वेतन के समान होगा। सलाहकारों व प्रोफेसरों हेतु, यह पद वेतनमान पर न होकर अगले स्तर के पद हेतु एकमुश्त पैकेज पर होगा। मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए पैकेज को संशोधित किया जाएगा। यह बिजनेस मॉडल सभी सलाहकारों, प्रोफेसरों, सह प्रोफेसरों एवं सहायक प्रोफेसरों को पारिश्रमिक पैकेजों में राजस्व हिस्सा भी प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष परवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं:

(i) लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि संस्थान ने अपने नियुक्ति पत्रों के अनुसार समेकित मासिक वेतन पर प्रोफेसरों, अतिरिक्त प्रोफेसरों, सह प्रोफेसरों एवं सहायक प्रोफेसरों को नियुक्त किया। हालाँकि, उन्हें पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 में निर्धारित वेतनमानों पर आधारित दूसरे भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, महँगाई भत्ता, गैर-व्यवहार्य भत्ता (गै.व्य.भ.) इत्यादि के साथ वेतन का भुगतान किया जा रहा था। 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक अभिवृद्धि उनके मूल वेतन (ग्रेड वेतन व गै.व्य.भ. सहित) पर अनुमत थी। संकाय सदस्यों<sup>13</sup> में से चार मामलों (प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, सह प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर में प्रत्येक के संवर्ग में) की लेखापरीक्षा जाँच ने यह दर्शाया कि इन मामलों में अदा की गई मासिक निवल धनराशि बिजनेस मॉडल के अनुसार दी जाने वाली धनराशि से अधिक थी। नियुक्ति पत्रों के अनुसार जो धनराशि अदा किए जाने की सहमति है, उसका भी पालन नहीं किया गया। वास्तविक वेतन में ये अवयव शामिल हैं जैसे कि मूल वेतन, महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, गै.व्य.भ., यात्रा भत्ता, अ.भ.नि., टेलीफोन भत्ता, इंटरनेट भत्ता, बाल शिक्षण भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं शैक्षणिक भत्ता बिजनेस मॉडल में विचलन के रूप में दी गई है जैसाकि वृत्त 3-2 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, संकाय सदस्य राजस्व हिस्से के हकदार थे। संस्थान की वित्त समिति ने बिजनेस मॉडल के अनुसार राजस्व हिस्सेदारी लागू किए जाने तक संकाय सदस्यों को गैर-व्यवहार्य भत्ता की अनुमति दी (नवम्बर 2008)। इसे अप्रैल 2009 में शासी परिषद द्वारा मंजूरी दी गई। हालाँकि संस्थान ने राजस्व हिस्से को सितम्बर 2014 तक क्रियान्वित नहीं

<sup>13</sup> 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान संकाय सदस्यों की कुल संख्या औसतन 40 ओर 50 के बीच थी।

किया था और राजस्व हिस्से के स्थान पर गै.व्य.भ. का भुगतान जारी रखा। संस्थान ने 2009 से 2014 के दौरान अपने संकाय सदस्यों को और इससे भत्तों में वृद्धि के लिए गै.व्य.भ. ₹ 5.39 करोड़ का भुगतान किया।

(ii) *edku fdjk; k HkYkk dh mPp nj rFkk okL'kd of*) %एम्स में मकान किराया भत्ता (म.कि.भ.) मूल वेतन व ग्रेड वेतन के जोड़ के 30 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है जैसा कि पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 के अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को देय है। हालाँकि संस्थान अपने सभी कर्मचारियों (संकाय, असंकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ) को मूल वेतन व ग्रेड वेतन के जोड़ के 30 प्रतिशत की दर के बदले 50 प्रतिशत की दर से भुगतान कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2009 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान ₹ 10.12 करोड़ का अधिक व्यय किया। इसी प्रकार, एम्स अपने स्टाफ को मूल वेतन व ग्रेड वेतन तथा गै.व्य.भ. (जहाँ लागू है) के जोड़ के तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि करता है। हालाँकि, संस्थान अपने स्टाफ, को मूल वेतन, ग्रेड वेतन व गैर व्यवहार्य भत्ता (जहाँ लागू हो) के 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति देता है।

इस प्रकार, संस्थान ने संकाय सदस्यों को नियमित वेतनमान और गै.व्य.भ. सहित भत्ते का भुगतान किया, और वार्षिक अभिवृद्धि की भी स्वीकृति मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित बिजनेस मॉडल के उल्लंघन में दी। आगे, म.कि.भ. और वार्षिक अभिवृद्धि का भुगतान भी कर्मचारियों को उच्च दरों पर किया। संस्थान के ये निर्णय न्यायसंगत नहीं थे, क्योंकि इनकी मंजूरी मंत्रिमण्डल द्वारा नहीं की गई थी।

अपने जवाब में, संस्थान ने कहा (सितम्बर 2014) कि संस्थान की कार्यकारी परिषद को संकाय सदस्यों, अन्य अधिकारियों व स्टाफ की नियुक्ति करने, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। इसमें यह भी बताया गया कि सभी पदों के लिए वेतन पैकेज की सिफारिश एक कार्यकारी समूह द्वारा जिसमें वित्त विभाग के सदस्य भी सम्मिलित हैं, की गई जिसे प्रधान सचिव (वित्त) द्वारा पृष्ठांकित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि राजस्व अंश के बजाय गै.व्य.भ. के भुगतान के परिणामस्वरूप संकाय सदस्यों एवं सलाहकारों को निम्न वेतन पैकेज दिया गया व राजकोष की बचत हुई।

जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्यकारी परिषद को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित बिजनेस मॉडल के ढाँचे के भीतर अपने अधिकारों को लागू करना अपेक्षित है। आगे, प्रधान सचिव (वित्त) का अनुमोदन केवल संकाय सदस्यों के लिए एम्स के अगले स्तर हेतु एक मुश्त पैकेज पर और शेष कर्मचारियों के लिए एम्स के प्रचलित वेतनमान के अनुसार भुगतान पर दिया गया था। इसका यह तर्क कि राजस्व हिस्से के स्थान पर गै.व्य.भ. के भुगतान से वेतन पैकेज कम होता है, तथ्य से सिद्ध नहीं होता क्योंकि राजस्व हिस्से का फार्मूला अभी संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

यह पैराग्राफ सरकार को नवम्बर 2014 में जारी किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।



x'g foHkx

3-5 fctyh fcyka ij ₹ 70-06 yk[k dk ifjgk; L 0; ;

oKkfud tkp iz ks'kkyk }kjk vius l fonk Hkkj dk vkdyu ml dh okLrfod vko'; drk ds vuq i djus ea foQy gkus ds ifj.kkeLo: i ₹ 70-06 yk[k dk ifjgk; L 0; ; gq/kA

दिल्ली में उत्तरी दिल्ली पावर लिमिटेड (एनडीपीएल) गैर घरेलू बिजली कनेक्शनों के लिए संविदा भार पर माँग प्रभार की उगाही वास्तविक उपभोग के बावजूद ₹150 प्रति कि.वो.ए. प्रतिमाह की दर से करती है।

वैज्ञानिक जाँच प्रयोगशाला (वै.जाँ.प्र.), रोहिणी के पास अपनी बिल्डिंग के लिए उत्तरी दिल्ली पावर लिमिटेड (एनडीपीएल) से संस्वीकृत भार 1413 कि.वा. एवं संविदा भार 1663 कि.वो.ए. का गैर घरेलू बिजली कनेक्शन (क.स. 441026025300) दिनांक 7 अगस्त 2003 को किया गया है। वै.जाँ.प्र. सितंबर 2008 से जुलाई 2012 की अवधि के वै.जाँ.प्र. के बिजली बिलों की जांच से प्रदर्शित हुआ है कि वास्तविक उपभोग 674 कि.वो.ए. एवं 192 कि.वो.ए.प्रतिमाह के बीच में रहा, साथ ही अगस्त 2010 में अधिकतम उपभोग 674 कि.वो.ए.था। हालांकि, एनडीपीएल ने संविदा भार (1663कि.वो.ए.) पर 150 प्रति कि.वो.ए. प्रतिमाह की दर से माँग प्रभार लगाया। इस प्रकार, वै.जाँ.प्र. अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त माँग प्रभार का भुगतान कर रहा था। वैज्ञानिक जाँच प्रयोगशाला द्वारा अपने संविदा भार का आकलन उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप करने में विफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 70.06 लाख<sup>14</sup> का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताए जाने पर (अगस्त 2012) वै.जाँ.प्र. ने सूचित किया (मई 2013) कि उसने अपनी संविदा माँग को घटवाकर 16 फरवरी 2013 से 1663 कि.वो.ए. के बजाय 625 कि.वो.ए. प्रतिमाह करा लिया है। जिससे यह पुनः सिद्ध हो जाता है कि वै.जाँ.प्र. ने सितम्बर 2008 से फरवरी 2013 की अवधि के लिए प्रतिमाह 1038 कि.वो.ए. (1663 कि.वो.ए.–625 कि.वो.ए.) पर अतिरिक्त माँग प्रभार का भुगतान किया।

मामला सितंबर 2014 में सरकार के पास भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

Je-foHkx

fnYyh Hkou , oa vU; fuekZk Jfed dY; k.k ckMZ

3-6 ₹ 37-10 yk[k ds C; kt dh gkfu

vLoh-r@oki l fd, x, psdka dh mi dj jkf'k dks ol y djus grq 'kh?kz dkj'kbz i kj'kk djus ea ckMZ , oa mi k; qä Je dh fuf'Ø; rk ds dkj.k ₹ 37-10 yk[k ds C; kt dh gkfu gqA ckMZ us ys[kki jh{kk ea b'fxr ₹ 4-80 dj'kM+ea l s ₹ 3-95 dj'kM+dh ol yyh dhA

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, के अन्तर्गत दिल्ली

<sup>14</sup>1038 कि.वो.ए. x ₹ 150 x 45 महीने

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) निर्माण एजेंसियों से एक प्रतिशत उपकर संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत है। उपकर भुगतानकर्ता देय उपकर को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित उपायुक्त-श्रम (डीएलसी) के कार्यालय में चेकों के रूप में जमा करते हैं। इस प्रयोजन हेतु बोर्ड 10 अप्रकार्यात्मक बैंक खातों का प्रचालन कर रहा है, जिसमें से एक मुख्यालय में है और नौ को डीएलसी कार्यालयों को आबंटित किया गया है जो कि बोर्ड के मुख्य/प्रधान खातों से संबद्ध हैं। डीएलसी कार्यालयों में प्राप्त किए गए चेकों को उनके द्वारा उनसे संबंधित उपकर खातों में जमा किया जाता है। यदि, किसी कारणवश कोई चेक अस्वीकृत कर दिया जाता है तो अस्वीकृति रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक की तीस हजारी शाखा के द्वारा बोर्ड को भेज दी जाती है। बोर्ड, उसके बाद, डीएलसी कार्यालयों से उपकर राशि को वसूल करने के लिए निवेदन करता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा एवं बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना से यह प्रदर्शित होता है कि जनवरी 2010 से फरवरी 2014 के दौरान, ₹4.80 करोड़ के 94 चेकों को बैंक के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। चेकों को सामान्यतः आदेशक के खाते में अपर्याप्त निधियों के होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था अथवा चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने से पहले समय बाधित हो चुके थे। इसके अतिरिक्त, कुछ चेकों को वापस कर दिया गया था क्योंकि उन्हें बोर्ड के बजाय डीएलसी के पक्ष में निकाला गया था। बोर्ड ने इन अस्वीकृत किए गए /वापस किए गए चेकों के अनुरूप राशि को वसूल करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर, बोर्ड ने कहा (नवम्बर 2014) कि ₹ 4.80 करोड़ में से ₹ 4.00 करोड़ की वसूली हो चुकी है। हालाँकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, 35 चेकों से प्राप्त ₹ 3.95 करोड़ की राशि को ही सत्यापित किया जा सका। यद्यपि, बोर्ड ने ₹ 3.95 करोड़ की वसूली तब की जब लेखापरीक्षा के द्वारा फरवरी 2014 में इसे इंगित किया गया, लेकिन तब तक इस राशि को वसूल किए जाने की कार्रवाई में विलम्ब किए जाने के कारण ₹ 37.10 लाख<sup>15</sup> के ब्याज की हानि पहले ही हो चुकी थी।

मामले को सितंबर 2014 में सरकार के पास भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित थां (अप्रैल 2015)।

### यकद फुएकल क फोहकख

3-7 फुफोक वकेर=र फद, फुक वफु; फेर : i l s ₹ 1-77 dj kM+dk dk; l l kA k tkukA

ykd fukZ k foHkx j k-j k-{ksfn-l - us ₹ 1-77 dj kM+dk dk; l l {ke i kf/kdkjh ds i wZ vupeknu , oa [kyh fufonk vke=. k ds fcuk fu/kkfj r fu; eka dk mYy@ku djrs gq l kA dk; l ea 551 fnuka dh njh l s i jk gvkA

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य नियमावली, 2012 का अनुच्छेद 14.1(1) अनुबंध करता है कि ₹ 50,000 से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के लिए सामान्यतः निविदा आमंत्रित करनी चाहिए। जिन मामलों में कार्य शीघ्र प्रदान करना हो, अत्यावश्यक मामलों में सूचना की निर्धारित अवधि को घटाया जा सकता है, अथवा अधिक महत्व वाले कार्यों में या जहाँ

<sup>15</sup>अस्वीकृत किए गए/समय बाधित हुए चेकों की तारीख से नए चेकों (₹ 3.95 करोड़ की राशि) की तारीख तक प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर पर परिकलित और शेष चेकों पर, ब्याज की गणना चेक की तारीख से 4 सितम्बर 2014 तक की गई थी

उनको शीघ्र करना आवश्यक हो, कार्य को i f j f ' k " V - I में दिए अधिकारों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद बिना निविदा आमंत्रित किए प्रदान किया जा सकता है। i f j f ' k " V - I के अनुसार मुख्य अभियन्ता अपने प्राधिकार के तहत ₹ 25 लाख तक ए.डी.जी. के पूर्व अनुमोदन के साथ ₹ 100 लाख तक एवं डी.जी. के पूर्व अनुमोदन के साथ ₹ 180 लाख तक के कार्य बिना निविदा आमंत्रित किए प्रदान कर सकता है।

लोक निर्माण विभाग के मंडल एम-112 के अभिलेखों की जांच से प्रदर्शित हुआ कि मुख्य अभियन्ता (एम-1) ने मार्च 2012 में "यू मोड़ प्रदान करने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर लाल बत्ती (दिल्ली रोहतक रोड पर पीरागढ़ी से मुंडका तक सुचारु यातायात के लिए) के निष्कासन" के कार्य के लिए ₹ 95.86 लाख के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (प्र.अ. एवं व्य.सं.) प्रदान की। कार्यपालक अभियन्ता (एम-112) ने (जून 2012) कार्य ₹ 70.48 लाख के निविदा मूल्य पर सौंप दिया जो ₹ 94.28 लाख की अनुमानित लागत से 25.25 प्रतिशत कम था। कार्य के आरम्भ करने एवं पूरा करने की अनुबद्ध तिथियों क्रमशः 2 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 के साथ प्रदान किया। कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि 3 जनवरी 2014 थी।

लेखापरीक्षा जांच में आगे प्रकट हुआ कि मुख्य अभियन्ता (एम-1) ने "पीरागढ़ी से मुंडका के लिए सुचारु यातायात हेतु रा.राजमार्ग-10 (दिल्ली रोहतक रोड) पर यू मोड़ प्रदान करने के लिए आर.सी.सी. नाले के स्थानांतरण" के कार्य के लिए अलग से ₹ 1.77 करोड़ का प्र.अ. एवं व्य.सं. प्रदान किया। अनुमान दस्तावेज में इस कार्य के पूरा होने का निर्धारित समय 2 महीने दर्शाया गया था। यह अतिरिक्त कार्य मौजूदा ठेकेदार को कार्य पूरा होने में देरी से बचने की दलील देकर खुली निविदा आमंत्रण के बिना सौंपा गया। ₹ 2.59 करोड़ की राशि (अतिरिक्त मदों के लिए ₹ 1.48 करोड़ सहित) अतिरिक्त कार्य के लिए जारी की जा चुकी थी। कार्य पूरा होने में विलंब से बचने के लिए विभाग द्वारा दी गई दलील भी न्यायसंगत नहीं है क्योंकि मूल कार्य वास्तव में 551<sup>16</sup> दिनों की देरी से पूरा हुआ।

इसलिए विभाग ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं खुली निविदा आमंत्रण के बिना ₹ 1.77 करोड़ का कार्य सौंपा, जिससे विभाग न केवल प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ उठाने में असफल रहा अपितु ठेकेदार को अवांछित लाभ भी दिया गया।

मामला अगस्त 2014 में सरकार को भेजा गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

3-8 dk; l i nku djus dh vfu; fer Loh—fr

ykcd fuekZ k foHkx ds eq; vfHk; Urk ¼, etM-3½ rFk v/kh{k.k vfHk; rk ¼, e-35½ us i R; k; kftr foYkh; 'kfä; ka dk mYy&ku djrs gq , d dk; l ds rhu foHkkftr Hkxka ds fy, vfu; fer : i l s ₹ 13-54 dj kM+ dh ckfy; k; Loh—r dhA

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य नियमावली के i f j f ' k " V - I के मद सं. 20 में यह अनुबद्ध है कि ₹ 16 करोड़ से अधिक के कार्य के विभाजित अंशों अथवा विशिष्ट उप-शीर्ष की निविदाएँ केन्द्रीय कार्य बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जाएँगी। इस प्रावधान की टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण/विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विभाजित कार्यों की निविदाएँ उस प्राधिकारी

<sup>16</sup> 1 जुलाई 2012 से 2 जनवरी 2014 तक

द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए जिसने मूल कार्य को संस्वीकृति विभाजित घटकों के प्रस्तुत मूल्य की अपेक्षा किए बिना प्रदान की है।

लोक निर्माण विभाग के दो डिविजनों<sup>17</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि “802 सं. के डी ए फ्लैट्स-टाइप बी, सी तथा डी, तिमारपुर दिल्ली के अतिरिक्त साधारण मरम्मत के उन्नयन” कार्य के लिए लो.नि.वि. के सहायक आवास आयुक्त ने ₹ 18.72 करोड़<sup>18</sup> के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति की जानकारी दी (जनवरी 2012)। विभाग ने कार्य को दो भागों में बाँटा-पैकेज I-एस.एच-392 फ्लैट्स जिनमें 360 फ्लैट्स टाइप ‘बी’के तथा 32 फ्लैट्स टाइप ‘डी’के हैं तथा पैकेज II- एस.एच-410 फ्लैट्स जिनमें 320 फ्लैट्स टाइप ‘बी’ के तथा 90 फ्लैट्स टाइप ‘सी’ के हैं।

लेखापरीक्षा जाँच में आगे यह पाया गया कि मुख्य अभियंता (एम जैड-3) ने पैकेज-II के सिविल भाग की ₹ 9.09 करोड़ की बोली की स्वीकृति के लिए दिल्ली कार्य सलाहकार बोर्ड (डी डब्ल्यू ए बोर्ड) से अनुमोदन माँगा जबकि पैकेज-I के सिविल भाग की बोली मुख्य अभियंता (एम जैड-3) द्वारा ₹ 9.03 करोड़ के प्रस्तुत मूल्य पर (मार्च 2013) स्वीकृत की गई। दोनों पैकेजों के विद्युत भाग के लिए अधीक्षण अभियन्ता (एम-35) द्वारा नवम्बर 2012 में ₹ 2.25 करोड़ के विक्रय मूल्य पर तथा दिसम्बर 2012 में ₹ 2.26 करोड़ के विक्रय मूल्य पर बोलियाँ स्वीकृत की गईं।

इस प्रकार डी.डब्ल्यू.ए.से स्वीकृति के बिना एक कार्य के तीन विभाजित भागों के लिए ₹ 13.54 करोड़ की बोली की स्वीकृति ने प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन किया तथा अनियमित रही।

यह बताए जाने पर अधिशासी अभियंता (एम-323) ने कहा (जून 2014) कि 14 मार्च 2013 में हुई दिल्ली कार्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में मुख्य अभियंता (एम जैड-3) ने यह स्पष्ट किया कि हालांकि कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा खर्च की संस्वीकृति एकल थी, इसे दो पैकेजों में बाँटा गया था तथा पैकेज I के सिविल भाग की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की योग्यता के भीतर थी। इसके आगे यह कहा गया कि पैकेज I की बोली मुख्य अभियंता द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ स्वीकृत की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियंता ने विभाजित कार्यों की स्वीकृति के लिए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की शक्तियों पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया तथा अनियमित रूप से पैकेज I की बोली को स्वीकृति दी जो डी.डब्ल्यू.ए के क्षेत्राधिकार के भीतर थी। ₹ 18.72 करोड़ के कार्य की एकल मंजूरी तथा विभाजित कार्यों की बोलियों की स्वीकृति केवल डी.डब्ल्यू.ए बोर्ड की योग्यता में थी।

मामला सरकार को अगस्त 2014 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

3-9 | Mdkk ds | d <hdj .k ij ifjgk; L 0; ; -₹ 73-31 yk[k

fcVieuh | rg ij fuEu foLdkfI Vh okys fcVieU feJ.k ds LFkku ij mPprj fofunꣳ ku okys ohth-10 xM ds gkV LVV ju fcVieU ds bLræky , oa , d Vsd dks/ ds LFkku ij Mcy dks/ yxkus ds ifj .kkeLo: i ₹ 73-31 yk[k dk ifjgk; L 0; ; gqkA

<sup>17</sup> नगर भवन अनुक्षण मण्डल (सीबीएमडीएम-323) एवं विद्युत अनुक्षण मण्डल (ईएमडीएम-351)।

<sup>18</sup> ₹15.04 करोड़ सिविल एवं ₹ 3.68 करोड़ विद्युत कार्य हेतु।

लेखापरीक्षा ने लोक निर्माण विभाग के दो नगर सड़क अनुरक्षण मण्डलों (एम-212 तथा एम-112) में 11 सड़कों के सुधार एवं सुदृढीकरण के कार्य की नमूना जाँच की। इन कार्यों के संविदा अनुबंधों में सम्मिलित सामान्य विनिर्देशों के अनुसार सड़क पर बिटूमन की दूसरी परत निर्माण करने से पहले उस पर कम गाढ़े बिटूमन पदार्थ की एक परत का कार्य होना चाहिए और इस परत में उपयोग किया जाने वाला बन्धक उचित श्रेणी का होना चाहिए। कार्य सड़क व पुल के कार्यों (IV पुनर्लेखन) 2001 के मोर्थ<sup>19</sup> विनिर्देशों के खण्ड 503 एवं उसके उपखंडों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

पुनः, अनुच्छेद 503.2.1- 'बन्धक' के अनुसार टैक परत के लिए उपयोगी बन्धक आई एस 8887 के प्रकार एवं श्रेणी वाला जैसाकि अनुबंध में निर्देशित या अभियंता द्वारा स्पष्ट किया हो ऐसा बिटूमन इमल्शन होना चाहिए। फिर भी लेखापरीक्षा जाँच में कार्य में निर्धारित विनिर्देशनों एवं प्रणालियों का उल्लंघन पाया गया जो निम्न प्रकार वर्णित है:

1/4 मण्डल (एम-212) के पाँच कार्यों में तकनीकी संस्तुति प्राप्त करने के लिए विस्तृत आकलन तैयार करते समय मण्डल ने टैक परत कार्य के लिए बिटूमन इमल्शन के स्थान पर वीजी 10 श्रेणी के हॉट स्ट्रेट रन बिटूमन को सम्मिलित किया एवं उसे मात्रा अनुसूची में भी शामिल किया। परिणामस्वरूप जैसा कि rkydk 3-9-1 में दिया गया है, सभी पाँचों कार्यों में वीजी-10 श्रेणी के लगातार हॉट स्ट्रेट रन बिटूमन का उपयोग किया गया।

rkydk 3-9-1 में 10 x 10 मीटर के क्षेत्रों में बिटूमन इमल्शन का उपयोग किया गया।

रकम का अंश

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹)	विवरण	मूल्य (₹)	विवरण	कुल मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6	{(5-4)x3}
1.	कोंदली पुल से मदर डेयरी तक खिचड़ीपुर रोड इत्यादि (69/12-13)	98721.75	7.70	23.39	1548944	
2.	चिल्ला चौक से नोयडा टी-पोइंट तक मेन त्रिलोकपुरी रोड इत्यादि (70/12-13)	28826.39	7.70	23.39	452286	
3.	एनएच 24 से खिचड़ीपुर ब्लाक सं 1 तक की सड़क इत्यादि (71/12-13)	103182.85	7.77	23.60	1633385	
4.	एनएच 24 से कोंदली पुल तक गाजीपुर नाला के साथ वाली सड़क इत्यादि (72/12-13)	21600.77	7.77	23.60	341940	
5.	हाई लैंड अपार्टमेंट से सूचना अपार्टमेंट तक वसुन्धरा एनक्लेव वाली सड़क इत्यादि (81/12-13)	52939.41	7.94	24.10	855501	
कुल						4832056

(\*) बिटूमन इमल्शन का मूल्य (-) 12% (+) 8.05% (+/-) धन लाभ/हानि का अंश

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि बिटूमन इमल्शन की तुलना में वीजी-10 श्रेणी का हॉट स्ट्रेट रन बिटूमन महँगा है। फिर भी, तकनीकी संस्तुति प्राप्त करने के लिए विस्तृत आकलन

<sup>19</sup> सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय

तैयार करते समय महंगी मद के उपयोग का तर्क दर्ज नहीं किया गया था। मोर्थ विनिर्देशों से विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 48.32 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

1/2 मंडल एम-112 में छः कार्यों के निष्पादन में अनुबंध में निर्धारित एक कोट के स्थान पर सड़क की सतहों पर एक से अधिक बार टैक कोट लगाया गया था। संबंधित विवरण rkydk 3-9-2 में निम्न प्रकार दिया गया है:

rkydk 3-9-2 % vfrfjä Vd ijr dk mi ; kx

व्यक्ति ₹ ००

Øe- l a	I Mēl dk uke	fu"i kfnr l ; k %oxl eh-½	fu"i kfnr Vd dkV vfrfjä l ; k %oxl eh-½	nj	ifjgk; 20; ;
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	टंकी वाला मार्ग, टैगोर गार्डन एवं देवकी नंदन मार्ग(65/सीआरएमडी/एम-112/13-14)	48207.57	33146.65	8.25	273460
2.	पंजाबी बाग से जखीरा तक रोहतक रोड (73/ सीआरएमडी/एम -112/12-13)	192525.43	114232.91	6.81	777926
3.	रिंग रोड से मोती नगर तक शिवदास पुरी मार्ग(76/ सीआरएमडी/एम -112/12-13)	161932.77	101593.61	6.65	675598
4.	सं. 235 एक्सटेंशन तिलक नगर मेन रोड तथा सुभाष नगर नाला से पटेल नगर मार्ग तक(88/ सीआरएमडी/एम -112/13-14)	55070.96	32331.46	7.39	238929
5.	हंसराज मॉडल स्कूल से पंजाबी बाग तक, उत्तरी पश्चिम एवेन्यू रोड से पंजाबी बाग तक, पश्चिम पुरी चौक से नई झुगी क्वार्टर(102/ सीआरएमडी/एम -112/13-14)	59057.64	32877.69	8.98	295242
6.	एन जी रोड से एन जी नाला तक, मिलन सिनेमा से गृह सं 19/289 तक, गृह सं एच-1 से आई-42 तक, एच.आई.एल. से मिलन सिनेमा बस टर्मिनल तक, श्रीमति गिन्नी देवी रोड(118/ सीआरएमडी/एम .112/13-14)	67426.79	30477.67	7.79	237421
dy					2498576

इसलिए महंगी श्रेणी (वीजी-10) एवं अतिरिक्त टैक परत के उपयोग के परिणाम स्वरूप ₹ 73.31 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

विभाग ने अपने जवाब में कहा (जुलाई 2014) कि तकनीकी संस्तुति के लिए आकलन दिल्ली अनुसूची दर-2012 के आधार पर तैयार किये गये थे और तदनुसार कार्य निष्पादित हुआ। जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सामान्य विनिर्देशों में निर्धारित कम गाढ़े तरल बिटूमन इमल्शन को अपनाने के बजाय विभाग ने बिना किसी उचित तर्क के महंगी मदों को अपनाया, विशेषकर जबकि अन्य मण्डल (एम-112) के छः नमूना जाँच में पाए गये उसी प्रकार के कार्यों में बिटूमन इमल्शन का उपयोग किया। विभाग का यह दावा कि जो आकलन दिल्ली अनुसूची दर के आधार पर किये गये थे, लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुरूप नहीं

हैं। दोहरी टैक परत चढ़ाने के बारे में विभाग का जवाब मौन था।

मामला जनवरी 2015 में सरकार को भेज दिया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

jktLo foHkkx

3-10 Hkñe vf/kxg.k dyDVjka dh dk; i z.kkyh

Hkñe vf/kxg.k dyDVj fu/kkñjr le; ds Hkhrj vf/kxg.k ifØ; kvka dks ij k djus ea rFkk Hkñe dk dCtk yus l sigys eq/kots dk Hkqrku djus ea vl Qy jgñ ftl ds ifj.kkeLo: i ₹ 12-68 djkm+ dk ifjgk; Z C; kt Hkqrku djuk iMkA rRdkfydrk [kM dks , d fu; fer < x l s ykñ fd; k x; k FkA Hkñe vf/kxg.k dh ifØ; k ds fu; fer fu; ñ.k djus ds fy, fu/kkñjr l fefr; ka dk xBu ugha fd; k x; kA

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 तथा 1 जनवरी 2014 से प्रभावी उचित मुआवजा के अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत भूमि के अधिग्रहण को नियंत्रित किया जाता है।

‘भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों की कार्य प्रणाली’ का अधिग्रहित भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर 2011-14 तक की अवधि का लेखापरीक्षण चयनित 11 में से 4 जिलों में आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में चयनित जिलों के सभी 48 मामलों<sup>20</sup> की और भूमि एवं भवन विभाग में प्रासंगिक अभिलेख की जाँच हुई।

3-10-1 ₹ 12-68 djkm+ ds C; kt dk ifjgk; Z Hkqrku@ns rk

लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों ने 18 मामलों में ₹ 12.68 करोड़ का परिहार्य ब्याज भुगतान किया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 ए के अनुसार कलेक्टर को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर एक अधिनिर्णय लेना चाहिए। हालांकि ₹ 26.01 करोड़ के मुआवजे से जुड़े पाँच मामलों में 12 वर्षों तक की अवधि के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई विलंबित रही। इस देरी के परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान/देयता करना पड़ा।

(ii) धारा 34 के तहत, यदि भूमि पर कब्जा करने पर या उससे पहले मुआवजा नहीं दिया गया तो भूमि पर कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष के लिए अधिनिर्णित राशि पर 9 फीसदी की दर से ब्याज देय रहेगा और उसके बाद 15 फीसदी से देय रहेगा। हालांकि, 13 मामलों में, कब्जा लेने पर या उससे पहले ₹ 158.10 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.66 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान तथा ₹ 6.01 करोड़ की देनदारी हुई।

अपने उत्तर में (जून 2014), भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तरी पश्चिम) ने कर्मचारियों की कमी

<sup>20</sup> (i) जिलेवार विवरण—दक्षिण—19, दक्षिण पूर्व—9, उत्तर पश्चिम—7 और उत्तर—13 (कुल 48 मामले) (ii) विभाग / एजेंसी वार विवरण - डी.एम आर सी—18, डीडीए—14, दिल्ली जल बोर्ड—6, पी डब्ल्यू डी—5, एम सी डी—3 और डेसू—2 (कुल 48 मामले)

व कानूनी स्पष्टीकरण के अभाव को जिम्मेदार ठहराया। जबकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर) ने (अगस्त 2014) कहा कि उनकी ओर से विलम्ब नहीं किया गया था क्योंकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तरी पश्चिम) ने दिसम्बर/ जनवरी 2013 में ही अभिलेखों का स्थानांतरण किया था। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उत्तरी पश्चिम जिले ने वर्ष 2011-14 के दौरान कुछ ही (कुल 7) अधिनिर्णयों की घोषणा की थी तथा विलम्ब समग्र रूप से विभाग की ओर से हुआ था।

### 3-10-2 Hkfe dk vfrfj ä vf/kxg.k

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने (फरवरी 2012) भूमि एवं भवन विभाग से ओखला गांव में 129.24 वर्गमीटर की भूमि के लिए अनुरोध किया। इसके पश्चात 24 सितंबर 2013 को डीएमआरसी ने एलएसी (दक्षिणी पूर्व) को सूचना दी कि केवल 77.71 वर्गमीटर की भूमि पर्याप्त होगी। हालांकि, एलएसी (दक्षिणी पूर्व) ने दिसम्बर 2013 के अधिनिर्णय में 129.46 वर्गमीटर की भूमि का अधिग्रहण कर लिया लेकिन डीएमआरसी को केवल 77.71 वर्गमीटर की भूमि का कब्जा दिया गया। शेष भूमि और जमींदारों को मुआवज़ा जारी करने की स्थिति रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। एलएसी (दक्षिणी पूर्व) ने कहा (दिसम्बर 2014) कि मामला प्रगति पर है।

### 3-10-3 vuqj d vf/kfu.k; dh vukf/k-r ?kk!k.kk

(i) भूमि एवं भवन विभाग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2012 को जारी किए गए ओ एम सं.-15519-33 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2012 से कोई भी अनुपूरक अधिनिर्णय घोषित नहीं किया जाना था। हालांकि लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि एलएसी (दक्षिण) ने जून 2011 में अधिग्रहित भूमि मौजूदा संरचनाओं के संबंध में ₹ 3.06 करोड़ के एक अनुपूरक अधिनिर्णय की घोषणा की। जुलाई 2009 के पहले के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2012 में अनुपूरक अधिनिर्णय की घोषणा की गई। प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 3.06 करोड़ के मुआवजे का अनाधिकृत भुगतान करना पड़ा।

(ii) भूमि एवं भवन विभाग द्वारा जारी किए गए स्थाई निर्देशों के पैरा 2 (v) में यह कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों को सुपर संरचनाओं के मूल्यांकन के अनुमान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करने चाहिए तथा केवल उन्हीं अधिकृत निर्मित संरचनाओं के मूल्यांकन के अनुमान मान्य है जो दिल्ली नगर निगम या दि.वि.प्रा. से अनुमोदित हों। हालांकि लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि पाँच मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट में कोई जानकारी शामिल नहीं थी कि इन संरचनाओं को दिल्ली नगर निगम या दि.वि.प्रा. द्वारा अधिकृत किया गया है या नहीं।

### 3-10-4 vf/kfu; e ds rkRdkfydrk [kM dks vuqpr : i l sykxw djuk

स्थायी निर्देशों के पैरा 1(एम) के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत तात्कालिकता खंड का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए, जब भूमि की आवश्यकता तत्काल और समयबद्ध परियोजनाओं के लिए हो। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि 48 चयनित मामलों में से 35 मामलों में तात्कालिकता खंड लागू किया गया था। हालांकि घोषणा के जारी करने के बाद, एलएसी (दक्षिणी पूर्व) ने आठ ऐसे मामलों में से चार मामले



निश्चित करने में तीन से सात महीनों का समय लिया। शेष मामलों में, अधिनिर्णयों की घोषणा 17 महीनों के बाद से लेकर 12 वर्षों तक की गई थी, जबकि किसानों के पास अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस के प्रकाशन के खिलाफ अपील करने के लिए केवल 15 दिन थे। यह दर्शाता है कि तात्कालिकता खंड का नियमित रूप से प्रयोग किया गया था जबकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों की ओर से कोई अत्यावश्यकता नहीं देखी गई।

### 3-10-5 cdk; k epkotk

(i) 42 मामलों में, भूमि एवं भवन विभाग द्वारा 11 से लेकर 49 महीनों तक के बीच की देरी के साथ संबंधित भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों को ₹ 52.16 करोड़ का मुआवज़ा जारी किया जाना बाकी था। विलम्ब के कारणों को प्रस्तुत करते हुए, भूमि एवं भवन विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 30 से 45 दिनों की अवधि आवश्यक है। हालांकि उत्तर बताए गए विलम्ब का औचित्य सिद्ध नहीं करता है।

(ii) स्थाई निर्देशों के पैरा 4 के अनुसार, अधिग्रहित एजेंसी से मुआवजे की राशि प्राप्त होने पर तथा भूमि का कब्जा लेने पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को 60 दिनों के भीतर ज़मींदार को भुगतान कर देना चाहिए। हालांकि, छः मामलों में, तीन भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों (दक्षिण, उत्तर, दक्षिणी पूर्व) ने भूमि एवं भवन विभाग से राशि की प्राप्ति के बावजूद ज़मींदारों को ₹ 18.70 करोड़ का मुआवज़ा जारी नहीं किया था।

### 3-10-6 mi ; kfxrk iek.k i = dh xj-iLrfr

स्थायी निर्देशों के पैरा 5 (iii) के अनुसार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर राशि के वितरण के 15 दिनों के भीतर भूमि एवं भवन विभाग को मुआवज़े के भुगतान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत करेगा। हालांकि, लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि 2011-14 के दौरान दिसंबर 2014 तक जारी किए गए ₹ 704.53 करोड़<sup>21</sup> के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। विभाग ने (सितम्बर 2014 में) कहा कि मामला एलएसी के साथ उठाया गया था।

### 3-10-7 vU; {cnq

(i) vkrfjd ys[kki jh{kk% लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2011-12 तक लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, केवल उत्तरी पश्चिम जिले के आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन किया था। अन्य जिलों के संबंध में, लेखापरीक्षा जाँच करने के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी।

(ii) fu/kkfjr l fefr; k d k xj-l xBu% स्थाई निर्देशों के पैरा 8 व 9 के अनुसार दो समितियों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित किया जाना था जिसमें एक समिति का नेतृत्व प्रमुख सचिव द्वारा (भूमि एवं भवन विभाग) तथा दूसरी समिति का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव द्वारा (भूमि एवं भवन विभाग) किया जाना था। हालांकि भूमि एवं भवन विभाग ने सूचित किया (मई 2014) कि ऐसी कोई समिति का गठन नहीं किया गया लेकिन दि.वि.प्रा. के अधिकारियों तथा भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों की बैठकें जटिलताओं/ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की गई थी। उत्तर लेखापरीक्षा

<sup>21</sup>2011-12- ₹ 496.95 करोड़, 2012-13- ₹149.79 करोड़ एवं 2013-14- ₹ 57.79 करोड़



प्र.नि. के प्रत्युत्तर में केवल एक अनुरोध प्राप्त हुआ। मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मामले पर चर्चा कि गई (फरवरी 2009) एवं देखा गया कि गंभीर आर्थिक मंदी के कारण खराब प्रदर्शन रहा जो सभी सा.नि.भा. परियोजनाओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। ने.सु.प्रौ.सं. को निर्देश दिया गया:

- (i) गंभीर मंदी के चालू आर्थिक यथार्थताओं को विचार में लेते हुए परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए परियोजना सलाहकार को कहा गया,
- (ii) योजना आयोग की सलाह पाने के लिए कि क्या आर्थिक मंदी के प्रबल शर्तों के अंतर्गत परियोजना को आस्थगित किया जाना चाहिए।

हालाँकि, ने.सु.प्रौ.सं. ने उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। बजाय, नियंत्रण परिषद ने कुछ समय के लिए (वि.प्रौ.) परियोजना के कार्यान्वयन को आस्थगित करने एवं आर्थिक मंदी के स्थिर होने के बाद परियोजना का पुनः आकलन का फैसला किया (09 अप्रैल 2009)। तब से, यद्यपि पाँच वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, परियोजना की स्थिति अपरिवर्तित रही।

यदि, इस स्थिति में परियोजना पुनः प्रारंभ की जाती है, तो वि.प.रि. व विज्ञापन पर खर्च किए जा चुके कुल ₹ 75.94 लाख<sup>22</sup> के व्यय की तकनीक के इतने तेजी से बदलते परिदृश्य में कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। इस प्रकार ने.सु.प्रौ.सं. द्वारा इस परियोजना पर किया गया ₹ 75.94 लाख का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

निदेशालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि दिल्ली में साथ ही साथ देश में सू.प्रौ. एवं सू.प्रौ. परिचालित सेवाओं को प्रोन्नत करने के लिए परियोजना की कल्पना की गई थी एवं भविष्य में इस प्रकार की पहल से ने.सु.प्रौ.सं. एवं सरकार के लिए वि.प.रि. से प्राप्त ज्ञान व अनुभव बहुत ही उपयोगी होगा।

तथ्य यह है कि निदेशालय/ने.सु.प्रौ.सं. ने परियोजना का पुनः आकलन नहीं किया जैसा कि मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया था (फरवरी 2009) एवं प्रतिवेदन की उपयोगिता पुनः संदेहपूर्ण रह जाती है।

मामला अगस्त 2014 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

i fjogu foHkkx

3-12 0; ogk; ĩrk v/; ; u ij ₹ 9-85 djkm+ dk fu"Qy 0; ;

₹ 9-85 djkm+ dk 0; ; fu"Qy jgk D; kfd ifjogu foHkkx ¼i -fo-½ us ih vkj Vh i) fr ds fy, fnYyh bUVhxfVM eYVh-ekWMy Vkf tV fl LVe fyfeVM ¼MEVI ½ ds }kjk cuk; s x, 0; ogk; ĩrk ifronuka ij] vkxs fdl h dk; ĩkgh dks vkj EHK ugha fd; kA

परिवहन विभाग में अभिलेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि एक संयुक्त उद्यम कम्पनी, डिम्ट्स, ने दिल्ली में वसंत कुंज तथा वसंत विहार/मुनिरका क्षेत्र में तथा उसके आसपास व्यक्तिगत त्वरित पारगमन प्रणाली (पी आर टी)<sup>23</sup> पर व्यवहार्यता अध्ययन करने

<sup>22</sup>वि.प.रि.—₹ 30.00 लाख, विज्ञापन—₹ 45.13 लाख एवं विविध व्यय ₹ 0.81 लाख

<sup>23</sup> पी आर टी प्रणाली एक सार्वजनिक पारगमन प्रणाली है जो कार जैसी निजता के साथ, एक टैक्सी के समान स्तर पर लचीलापन देने के

का प्रस्ताव किया (27 अप्रैल 2009)। परिवहन विभाग ने मई 2009 में प्रस्ताव का अनुमोदन किया और तत्पश्चात उसने चार किशतों (जून 2009 से अप्रैल 2010) में ₹1.63 करोड़<sup>24</sup> डिम्स को जारी किए, जिसने अक्टूबर 2009 में अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की। प.वि. ने रिपोर्ट पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

डिम्स ने फिर से, पी.आर.टी. प्रणाली पर पांच स्थानों (द्वारका सब सिटी, नार्थ कैम्पस, आई.टी.पी.ओ, करोल बाग तथा सैन्ट्रल दिल्ली से पूर्वी दिल्ली संपर्क) में व्यवहार्यता अध्ययन तथा दिल्ली में पी.आर.टी. के लिए एक चयनित स्थान का एक विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को शुरू करने का प्रस्ताव किया (2 मई 2011)। प.वि. ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया (6 मई 2011) तथा डिम्स के पक्ष में ₹ 7.45 करोड़ की स्वीकृति जारी की स्वीकृति के आदेशानुसार, प.वि. के अन्तर्गत एक सरकारी उपक्रम दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डी टी आई डी सी) द्वारा डिम्स को अध्ययन के लिए अपने आवर्ती निधि से निधियों को जारी किया जाना था। जून 2011 में डिम्स तथा प.वि. के बीच एक समझौता भी हस्ताक्षरित किया गया था। डिम्स को ₹ 7.45 करोड़ की राशि जारी की गई थी (10 मई, 2011) तथा मार्च 2013 में डी पी आर सहित व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, प.वि. ने प्रतिवेदन या डी.पी.आर. पर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की।

सेवा कर के ₹ 77 लाख शामिल करते हुए, ₹ 9.85 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि प.वि.ने व्यवहार्यता प्रतिवेदनों पर नवम्बर 2014 तक आगे कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की।

इसके साथ, डिम्स को दूसरी व्यवहार्यता अध्ययन की पूरी लागत (₹ 7.45 करोड़) को नियम 159 का उल्लंघन करके अग्रिम रूप में जारी किया गया था जिसमें अनुबद्ध है कि निजी फर्मों को संविदा मूल्य की कुल लागत का 30 प्रतिशत तक अग्रिम जारी किया जा सकता है। प.वि. ने डिम्स को निधियों को जारी करने से पूर्व वित्त विभाग/ई.एफ.सी की सहमति प्राप्त नहीं की थी।

मामला, अक्तूबर 2014 में सरकार को प्रेषित किया गया उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### 3-13 ₹ 1-47 djkM+ dh fuf/k; ka dk vojks/ku

ifjogu foHkkx ¼i-fo-½ dh iDrU 'kk[kk ea bZpkyku dh ifj; kstuk dh vi; klr; kstuk ds ifj.kkeLo#i midj.kk; tks fd rhu o"kk; l s Hkh vfedd l e; l s fuf"Ø; iM; jg] ds Ø; ij 1-47 djkM+ dh fuf/k; ka dk vojksku gvkA

दिल्ली में लगातार बढ़ती वाहन की संख्या को ध्यान में रखते हुए प.वि. ने, डिम्स के साथ परामर्श से, प्रवर्तन वाहनों को ऑनलाईन चालान, मुख्यालय सर्वर के साथ संयोजकता, चालानों की प्रिंटिंग, इलैक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर्स, कैमरा इत्यादि जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सुसज्जित करने का निर्णय लिया (जून 2010)। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि 40

लिए परिकल्पित है। प्रणाली में विशिष्टतः विद्युत ऊर्जा वाहन (पोइस) जिसमें केन्द्रीय नियंत्रण प्रणाली के साथ 4-6 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता है, जो या तो भूमि स्तर अथवा उचित पथप्रदर्शक मार्ग पर चल कर यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर बिना रुके तथा कम प्रतीक्षा समय के साथ पहुँचाने के लिए शामिल है।

24 परियोजना ₹ 1.48 करोड़ की लागत पर लागू सेवा कर सहित अनुमोदित किया गया था। 10.3 प्रतिशत की दर से सेवा कर सहित ₹ 1.63 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

मोबाइल वाहनों के लिए, ई-प्रवर्तन (चूक करने वाले वाहनों/वाहकों की ई-चालान) के लिए 40 उपकरणों के सैटों को खरीदा जाए। प्रस्तावित प्रणाली 3 जी डाटा से परिचालित तथा केन्द्रीय डाटा बेस से संयोजन के योग्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली थी। प्रणाली द्वारा, उल्लंघन करने वाले वाहनों के संबंध में सभी पुराने दोषों तथा जुर्मानों के पूर्ववृत्त को इसकी पंजीकरण संख्या भरकर तुरन्त, पुनरु प्राप्त किया जा सकता था। यह विभाग के अन्य तंत्रों के साथ होने में भी समर्थ थी। उदाहरण के लिए यदि एक मोटर चालक ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान करने में या न्यायालय में उपस्थित होने में असफल होता है तो वह अपने चालान किए हुए वाहन से संबंधित अन्य कार्रवाई संचालित करने में, समर्थ नहीं होगा, जैसे की किशतों में क्रय की प्रविष्टियों को जमा तथा रद्द करने, वाहन का विक्रय तथा स्थानांतरण, बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण इत्यादि।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि परियोजना के कार्यान्वयन में प.वि.ने डिम्ट्स को सम्बद्ध किया यद्यपि दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक समझौता हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। डिम्ट्स के परामर्श पर जो कि प्रवर्तन विंग एवं प्रणाली विश्लेषक द्वारा समर्थित था, प.वि. ने जुलाई से अक्टूबर 2010 के दौरान ₹1.47 करोड़ की लागत पर 40 टफ बुक्स, 40 प्रिंटर, 80 स्मार्ट कार्ड रीडर, 40 यूपीएस, 40 डाटा कॉर्ड तथा दो प्लास्मा स्क्रीन (63") क्रय किए गए। उसी समय डिम्ट्स के द्वारा प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। यद्यपि सॉफ्टवेयर के विकास तथा प्रणाली के अनुरक्षण के लिए अनुबंध को उनके अधिक मूल्य उद्घृत करने के कारण डिम्ट्स के साथ अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। फलस्वरूप, प.वि. के अनुरोध पर अक्टूबर 2013 में एन.आइ.सी ने सॉफ्टवेयर को विकसित किया। जुलाई 2014 में दो वाहनों पर प्रणाली का प्रयोग करने हेतु प्रक्षेपित किया गया। सितम्बर 2014 तक प्रणाली परीक्षण की अवस्था में ही थी।

इस प्रकार, अपर्याप्त योजना यथा औपचारिक समझौते का न होना तथा सॉफ्टवेयर के विकास एवं प्रणाली के रख-रखाव के लिए अनुबंध को समयानुसार अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका तथा क्रय किए गए उपकरण तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय पड़े रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

यह मामला, दिसम्बर 2014 में सरकार को प्रेषित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

'kgjh fodkl foHkx

3-14 cgqrjh; dkj i kfdx l g-okf.kfT; d ifj l jka dh vo/kkj.kk] vk; kst u] fuekZ.k vkj l pkyu dh ys[kki jh{kk

u-fn-u-i- us ijke'kzhkrk dh fu; fä ea l fgrkxr i ko/kkuka dk ikyu ugha fd; kA i u% i kflr dk; z.kkyh ea ifjorü dh vuøfr l s fj; k; rxkgh dks vuøpr ykHk fn; k x; kA fj; k; rxkgh us ₹ 96-36 yk[k fj; k; r 'kq'd de tek fd; k l kfof/kd fofu; eka ds xj-vuq kyu l s dLrjck xk/kh ekxZ cgqrjh; dkj i kfdx-l g-okf.kfT; d ifj l j dks LFkfxr dj fn; k x; k] ft l l s ₹ 9-13 djkm+ dk vojky'k gqvk vkj /kjry i kfdx dks can djus ds dkj.k ₹ 11-71 djkm+ dk ?kkvk gqvkA u-fn-u-i- us LFkfxr ifj; kstuk ds fy, vkbZbz ds 'kq'd ds : i ea ₹ 1-22 djkm+ dk vi 0; ; fd; kA

नई दिल्ली नगर परिषद (न.दि.न.प.) ने बहुस्तरीय कार पार्किंग सह-वाणिज्यिक परिसरों (ब.स्त.का.पा.) के निर्माण के लिये तीन स्थानों (i) बाबा खड्ग सिंह मार्ग (बा.ख.सि.मा.) (ii) सरोजिनी नगर (स.न.) और (iii) कस्तूरबा गांधी मार्ग (क.गां.मा.) की पहचान की। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)<sup>25</sup> प्रणाली के तहत गठन प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर ब.स्त.का.पा. विकसित किये जाने थे। न.दि.न.प. को भूमि प्रदान करनी थी एवं ब.स्त.का.पा. संचालक से एक वार्षिक रियायत शुल्क चार्ज करना था और ठेकेदार (रियायतग्राही) को परियोजना के पूरे निर्माण संचालन और रखरखाव के खर्च की वित्तीय व्यवस्था करनी थी। परियोजनाओं के संविदा हेतु तकनीकी वाणिज्यिक अध्ययन रिपोर्ट और दस्तावेजों की बोली (रियायत अनुबंध के साथ) तैयार करने हेतु न.दि.न.प. ने जनवरी 2005 में मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंसियल कारपोरेशन (आईडीएफसी) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया। स.न. तथा बा.ख.सि.मा. ब.स्त.का.पा. के लिए निर्धारित परियोजना समाप्ति तिथि (नि.प.स.ति.) मई 2010 थी लेकिन इन्हें क्रमशः मई और सितम्बर 2012 में पूर्ण किया गया। क.गां.मा. के लिए नि.प.स.ति. जून 2010 थी लेकिन परियोजना मई 2010 में रोक दी गई।

मई से नवम्बर 2014 की अवधि में सभी तीन परियोजनाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न तथ्य सामने आए:

### 3-14-1 ifj ; kstuk ijke'khrk dh vfu; fer fu; fä

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) का नियम 176 अनुबंध करता है कि विशेष परिस्थितियों में जहाँ एकल स्रोत चयन किया जाना है, ₹ 25 लाख से अधिक लागत वाले कार्य हेतु सक्षम अधिकारी का अनुमोदन पूर्ण औचित्य के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न.दि.न.प. ने (जून 2004) आईडीएफसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जिसके तहत, आईडीएफसी को वाहन पार्किंग स्थलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में शहरी आधारभूत अवसंरचना के विकास, उन्नति एवं रख-रखाव हेतु न.दि.न.प. की मदद करनी थी। यद्यपि इस समझौता ज्ञापन में लिये गये कार्य का कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया, जबकि न.दि.न.प. ने तीन ब.स्त.का.पा. परियोजनाओं के लिये परामर्शदाता के रूप में आईडीएफसी को नियुक्त किया, जिसके लिए आई.डी.एफ.सी. को ₹ 27 लाख (प्रत्येक गतिविधि हेतु ₹ 9.00 लाख) का भुगतान होना था। आई.डी.एफ.सी. की नामांकन आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति अनियमित थी, इसमें पारदर्शिता का अभाव था तथा इससे न.दि.न.प. प्रतिस्पर्धी बोलियों के लाभ से वंचित हुआ।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) बताया कि आईडीएफसी को सभी संहितागत औपचारिकताओं का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद नियुक्त किया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकल स्रोत चयन हेतु कोई स्पष्टीकरण दर्ज किया गया नहीं पाया गया।

<sup>25</sup>पीपीपी परियोजना में एक रियायत अनुबंध, लागत प्रभावी डिजाईन एवं प्रौद्योगिकी प्रदान कर प्रबंध कौशल के माध्यम से आधारभूत अवसंरचना के सृजन हेतु सरकार एवं एक निजी कम्पनी के बीच हस्ताक्षरित होता है। पीपीपी में एक साफ व पारदर्शी चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए परियोजना के चयन में सख्त शासन एवं दीर्घ अवधि के ठेके दिये जाने हेतु प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है एवं रियायत अवधि के अन्त में परिसंपत्ति के ढाँचा, निर्माण, वित्त, संचालन, स्वामित्व एवं हस्थानांतरण हेतु निजी क्षेत्र को उत्तरदायी बनाता है।

### 3-14-2 cg|rjh; dkj i kEdx dk fuekZk

#### 3-14-2-1 p; fur rduhd dk I fonk I kx us ds ckn I d kks/ku

सरोजिनी नगर और बाबा खड़ग सिंह मार्ग में ब.स्त.का.पा. के परियोजना कार्य सितम्बर 2007 में मै. डीएलएफ को सौंपे गए और समझौते पर हस्ताक्षर नवम्बर 2007 में किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना के लिए बोली लगाते समय डीएलएफ ने ब.स्त.का.पा. के प्रचालन हेतु मै. सिमपार्क इंफ्रास्ट्रक्चर (कोलकाता) द्वारा मै. प्लेनटिफ नीदरलैण्ड) की 'ईकोसैफ पैलेट टेक्नोलोजी' प्रस्तावित की। यद्यपि, बाद में डीएलएफ ने मैसर्स सिमपार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेदखल किया और मैसर्स प्रिंशिशन ओटोमेशन एण्ड रोबोटिक्स इण्डिया लिमिटेड (पीएआरआई) को तकनीक के प्रतिष्ठापन करने के लिये शामिल किया। यह सीए की शर्तों का उल्लंघन था क्योंकि डीएलएफ ने 'ईकोसैफ पैलेट टेक्नोलोजी' ही उद्धृत करके तकनीकी बोली जीती थी। न.दि.न.प. ने डी.एल.एफ. द्वारा प्रयुक्त नयी तकनीक पर यह अभिलेख और सूचना उपलब्ध नहीं करवायी कि क्या यह तकनीक पिछली तकनीक के समान थी एवं सक्षम प्राधिकारी और त.मू.स. द्वारा अनुमोदित थी। इसके अतिरिक्त यह कि क्या पीएआरआई को परियोजना के लिये पर्याप्त तकनीकी अनुभव था, यह भी अभिलेखों में दर्ज नहीं था।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) बताया कि ईकोसेफ पैलेट तकनीक मैसर्स सिमपार्क का एक ब्राण्ड नाम था एवं मै. पीएआरआई द्वारा भी ठीक उसी प्रकार की तकनीक प्रदान की गई। यह परिवर्तन त.मू.स. एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया था। विभाग का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण एवं तकनीकी सहायता पर सीए विशेष रूप से उल्लेख करता था कि स्थापना, जाँच व प्रवर्तन मै. सिमपार्क द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीए में तकनीकी के संशोधन की अनुमति नहीं थी। न.दि.न.प. ने मै. पीएआरआई द्वारा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी/त.मू.स. के अनुमोदन का कोई प्रामाणिक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया।

#### 3-14-2-2 i q% i kflr dk; i z kkyh ea cnyko- fj ; k; rxkgh dks vufpr ykHk

'प्रस्ताव के लिये अनुरोध' दस्तावेज के अनुसार (तकनीकी प्रस्तावों की मद 2.2.2) वाहन का पुनःप्राप्ति समय<sup>26</sup> तीन मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

लेखापरीक्षा जांच दर्शाती है कि मैसर्स डिम्ट्स, जिन्हे स्वतंत्र अभियंता (स्व.अ.) (समीक्षा, निगरानी और डिजाइन, निर्माण, संचालन, एवं रखरखाव आवश्यकता इत्यादि के संबंध में रियायतग्राही द्वारा अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु) नियुक्त किया गया, ने स.न. ब.स्त. का.पा. में पार्किंग प्रणाली तथा पुनः प्राप्ति समय के कार्य पर डीएलएफ द्वारा की गई जांच को देखा (नवम्बर 2011) और पाया कि पुनः प्राप्ति की प्रणाली सीए के प्रावधानों के अनुसार प्रतिष्ठापित नहीं की गयी। जाँच के दौरान पुनः प्राप्ति का समय 3 से 14 मिनट

<sup>26</sup>सी.ए. के अनुसार, पुनः प्राप्ति समय का वर्णन श्पार्किंग संरचना में किसी वाहन का अधिकतम पुनः प्राप्ति समय- प्रवेश/निकास क्षेत्र से सबसे दूरस्थ बिन्दु पर पार्क किए गए वाहन को प्रवेश/निकास बिन्दु तक, जहाँ से वाहन भवन में चलायी जा सकती है, लाने में लिए गए समय एवं पूर्णतया स्वचालित पार्किंग सुविधाओं में 3 मिनट से अधिक न लिए गए समय के रूप में किया जाता है।

के बीच था। पुनः प्राप्ति के समय को घटाकर 3 मिनट करने के लिए डीएलएफ ने एक दो चरणों वाली संशोधित तकनीकी का प्रस्ताव दिया (अप्रैल 2012), जिसमें टोकन किऑस्क पर समीपता कार्ड स्वाइप करना और उक्त समयावधि के अंतर को समायोजित करने हेतु प्रचालक द्वारा पुनः प्राप्ति आदेश के लिए प्रतीक्षा करना भी शामिल था। मैसर्स डीएलएफ ने दावा किया कि अप्रैल 2012 में 120 कारों पर किये गये परीक्षणों के अनुसार, संशोधित कार्यप्रणाली के साथ पुनः प्राप्ति समय तीन मिनट के भीतर था। हालाँकि, डीआईएमटीएस ने टिप्पणी की कि टोकन की-ऑस्क पर कार्ड स्वाइप करने व ऑपरेटर द्वारा आदेश प्राप्त करने के बीच का समय प्रणाली में दर्ज नहीं था और अतिरिक्त था, जो पार्किंग भार के अनुसार अलग-अलग हो सकता था और अधिकतम बोझ की स्थिति में अधिक से अधिक पहुँच सकता था। डीआईएमटीएस के विचारों के बावजूद न.दि.न.प. ने संशोधित कार्यप्रणाली की पुष्टि की (अप्रैल 2012) और डीआईएमटीएस को कार्य पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया जो डीआईएमटीएस ने इन टिप्पणियों के साथ मई 2012 में जारी किया था कि पुनः प्राप्ति समय सीए के प्रावधानों के अनुरूप अब भी नहीं था। ऐसी ही संशोधित कार्यप्रणाली को अपनाने पर बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर भी ब.स्त.का.पा. के लिए समाप्ति प्रमाणपत्र सितम्बर 2012 में जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'टोकन किऑस्क' का प्रावधान, जहाँ ग्राहक टोकन सं. प्राप्त करता है और फिर भुगतान और अपनी कार की पुनः प्राप्ति के लिए ऑपरेटर को टोकन देने हेतु अपनी बारी का इंतजार करता है, सीए का भाग नहीं था। इस प्रकार संशोधित कार्यप्रणाली के साथ भी पुनः प्राप्ति समय तीन मिनट की स्वीकार्य सीमा के भीतर नहीं था। लेकिन न.दि.न.प. ने डीएलएफ को अनुचित लाभ देते हुए दोनों स्थलों के लिए संशोधित कार्यप्रणाली को स्वीकार किया।

न.दि.न.प. ने बताया (जनवरी 2015) कि पुनः प्राप्ति समय निर्धारित सीमा के भीतर था एवं लिखित तथा वास्तविक पुनः प्राप्ति समय में भ्रम को दूर करने के लिए टोकन किऑस्क लगाया गया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पुनः प्राप्ति का समय कार्ड स्वाइप करने के समय से कार की सुपुर्दगी तक माना जाएगा। सच यह है कि टोकन किऑस्क न.दि.न.प. द्वारा रियायतग्राही को प्रदत्त बचाव का एक तरीका था, जिससे उक्त निर्धारित पुनः प्राप्ति समय प्राप्त हो सके और जिसमें पुनः प्राप्ति समय की गणना के लिए टोकन/प्रतीक्षा समयान्तराल पर विचार नहीं किया गया।

3-14-2-3 fj ; k; rxkgh ds vks , .M , e dk; / ds fu"i knu dk xj -vuoph{k.k

सीए के अनुच्छेद 4 की अनुसूची 5 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि आई.ई. को परियोजना के प्रचालन व अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) की समीक्षा करनी चाहिए, जब तक कि ब.स्त.का.पा. को न.दि.न.प. के पास वापस नहीं सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त इसमें आई.ई. का उत्तरदायित्व - (i) परियोजना के प्रत्यक्ष, तकनीकी व वित्तीय पहलुओं पर रिपोर्ट करना तथा (ii) रियायतग्राही के निष्पादन का अनुवीक्षण तथा ओ एण्ड एम आदेशों की महत्वपूर्ण व लगातार अवहेलना की सूचना देना निर्धारित किया है।

स.न.और बा.ख.सि.मा. परियोजनाओं हेतु एक समय पर दो से अधिक वर्षों के विस्तार की



मनाही के साथ तीन वर्षों के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 4.89 लाख मासिक के पारिश्रमिक पर (जून 2008) डीआईएमटीएस को आईई के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई। लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि न.दि.न.प. ने आई.ई. को 15 अक्टूबर 2012 तक नियुक्त रखा जिस दौरान दोनों परियोजना को पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र जारी किए गए (स.न. मई 2012 तथा बा.ख.सि.मा.-सितम्बर 2012)। हालाँकि 15 अक्टूबर 2012 के बाद न.दि.न.प. ने न तो डीआईएमटीएस के सेवाओं का विस्तार किया, न ही ओ एण्ड एम के क्रियाकलापों हेतु किसी फर्म को आई.ई. के रूप में नियुक्त किया।

इस प्रकार, आई.ई. या किसी दूसरे सलाहकार की अनुपस्थिति में न तो परियोजनाओं के ओ एण्ड एम क्रियाकलापों की समीक्षा की जा रही थी न ही रियायतग्राही के निष्पादन की निगरानी की जा रही थी।

#### 3-14-2-4 vkbzb ds 'kq'd dh foyEc l s vnk; xh ds dkj .k fj ; k; rxkgh dks vufpr ykHk

सी.ए. के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार, आई.ई. को दिए जाने वाले सभी शुल्क रियायतग्राही तथा न.दि.न.प. के द्वारा बराबर-बराबर बाँटे जाने चाहिए थे। रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक माह के पहले दिवस को न.दि.न.प. को हिस्सा अदा करना चाहिए था। भुगतान में 90 दिनों से अधिक के लिए विलम्ब होता है तो अनुच्छेद 10 के अनुसार न.दि.न.प. द्वारा रियायतग्राही के विरुद्ध उचित कार्यवाही करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि रियायतग्राही ने न.दि.न.प. को हिस्से के भुगतान में एक से 17 माह तक का विलम्ब किया। यद्यपि रियायतग्राही शुल्क के अपने हिस्से के भुगतान में नियमित नहीं था, न.दि.न.प. ने इसके लिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिससे रियायतग्राही को अनुचित लाभ हुआ।

न.दि.न.प. ने अपने जवाब में (जनवरी 2015) रियायतग्राही द्वारा विलम्ब से आई.ई. के शुल्क की अदायगी स्वीकार की है। हालाँकि रियायतग्राही के खिलाफ की गई कार्यवाही के बारे में जवाब में कुछ कहा नहीं गया।

#### 3-14-2-5 fj ; k; r 'kq'd ₹ 96-36 yk[k dh de ol yH

सी.ए.के अनुच्छेद 7 के अनुसार, रियायतग्राही को स.न. और बा.ख.सि.मा. पर ब.स्त.ता.का. पा. हेतु पाँच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष क्रमशः 15.00 लाख व ₹ 22.00 लाख रियायत शुल्क का भुगतान करना था। रियायत शुल्क परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (नि.प.स.ति.)<sup>27</sup> की प्रत्येक वार्षिकी पर अग्रिम रूप में दी जानी थी तथा प्रथम रियायत शुल्क नि.प.स.ति.के सात दिन के भीतर देय था। चूंकि नवम्बर 2007 में दोनों कार्यस्थलों के लिए करार क्रियान्वित किया गया था, रियायतग्राही जून 2010 से रियायत शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी था। न.दि.न.प.के द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण दर्शाता है कि रियायतग्राही ने स.न. हेतु ₹ 48.90 लाख तथा बा.ख.सि.मा. हेतु ₹ 47.46 लाख कम रियायत शुल्क जमा किया। इस प्रकार, न.दि.न.प. द्वारा कुल राशि ₹ 96.36 लाख कम प्राप्त हुई।

<sup>27</sup> नि.प.स.ति. का मतलब प्रभावी तिथि से 24 महीनों की तिथि होती है, एवं प्रभावी तिथि का मतलब वह तिथि जिस पर सी.ए. की अनुसूची 3 के अनुरूप अनुमोदन पूरा कर लिया गया है या नियत तिथि से छः महीने, जो भी पहले हो।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) विलम्ब का कारण विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा देरी से अनुमोदन एवं परियोजना प्रबंधन समिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ नि.प.स.ति. का विस्तार माना है। जवाब मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि सीए में ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अलग से छः महीने प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त न.दि.न.प. ने एस.पी.सी.डी. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विस्तारण का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

3-14-2-6 i fj ; kst ukvka ds i w kZ gksus ea foyEc ds fy, l h, ea n.M mi cl/k dk u gksuk

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली के भाग 33.1 (3) के अनुसार कार्य पूर्ण होने में विलम्ब की क्षतिपूर्ति ठेकेदारों से निविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक वसूली योग्य है।

संविदा अनुबंध के अनुसार, बा.ख.सि.मा.व स.न. में ब.स्त.का.पा. परियोजनाओं का निर्माण डीएलएफ द्वारा 30 महीनों के भीतर (अर्थात् जून 2010 तक) पूरा किया जाना था। लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि सीए में रियायतग्राही द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की तिथियाँ व प्राप्त किए जाने वाले मील-पत्थरों के निर्धारण उपबन्ध को शामिल किया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर मील के पत्थरों की प्राप्ति न होना व परियोजनाओं के अपूर्ण होने के लिए कोई दण्ड उपबन्ध नहीं था। स.न. व बा.ख.सि.मा. परियोजनाओं हेतु पूर्ण होने का प्रमाण पत्र मई 2012 तथा सितम्बर 2012 में जारी किया गया जिसमें क्रमशः 23 व 27 महीनों का विलम्ब दर्शाया गया। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों को न.दि.न.प. द्वारा नहीं दिया गया।

इस प्रकार सी.ए. में परियोजनाओं के पूर्ण होने में हुए विलम्ब हेतु दण्ड उपबन्ध के शामिल न होने से आम जनता भी अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रही और रियायतग्राही को अनुचित लाभ हुआ।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) बताया कि सा.नि.भा. अवधारणा नई होने के कारण इसके संविदा करार में जुर्माना उपबन्ध शामिल करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार, संविदा सौंपते समय समाप्ति समय सीमा, विलम्ब से पूर्ण होने हेतु दण्ड, आदि से सम्बन्धित उपबन्ध को बोली दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए।

3-14-3 dLrjck xka/kh ekxZ ij c-Lr-dk-ik- dk fuekZ k

3-14-3-1 , -, l -vkbZ l s vuki fyk i ek.k i = dh i wZ vko' ; drk dks i jk ugha djuk

कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ब.स्त.का.पा. का निर्माण कार्य मैसर्स डी एस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (सितम्बर 2007) को सौंपा गया तथा संविदा अनुबंध दिसम्बर 2007 में कार्यान्वित किया गया। यद्यपि न.दि.न.प. ने परियोजना के लिए भूमिग्रहण नहीं किया जो जनवरी 2009 में उसे

आवंटित की गई थी। सीए के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार, रियायतग्राही को स्थानीय निकायों तथा प्राधिकरणों से परियोजना हेतु सभी उपयुक्त अनुमतियाँ प्राप्त करनी थीं। चूंकि परियोजना स्थल 'उग्रसेन की बावली', जो एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है, से 203.85 मी. के अन्दर स्थित है, परियोजना हेतु ए.एस.आई. की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। मै. डी एस कंस्ट्रक्शन द्वारा दी गई इस सूचना (जुलाई 2008) के अनुसार कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, न.दि.न.प. ने उन्हें कार्यस्थल पर उत्खन्न की अनुमति प्रदान कर दी। आगे जाँच में पता चला कि मै. डी एस कंस्ट्रक्शन ने न.दि.न.प. को इस मामले में दिग्भ्रमित किया ए.एस.आई. से अनुमति के लिए आवेदन वास्तव में मार्च 2010 में ही किया। इस दौरान, एएसआई ने न.दि.न.प. के अवैध निर्माण के विरुद्ध एक एफआईआर (मई 2010) दायर की और इन टिप्पणियों के साथ आवेदन पत्र को वापस कर दिया (जुलाई 2010) कि ए.एम.ए. एस.आर. अधिनियम 2010 लागू होने के कारण, रियायतग्राही को भारतीय राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (भा.रा.स्मा.प्रा.) से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। फलस्वरूप, ब.स्त.का. पा. कार्य 1 मई 2010 से रुका रहा।

इस प्रकार, न.दि.न.प. ने सितम्बर 2007 में ब.स्त.का.पा. का कार्य जल्दबाजी में प्रदान किया जबकि परियोजना हेतु भूमि जनवरी 2009 में आवंटित की गयी अर्थात् कार्य देने के 15 महीने बाद। इसके बावजूद, न.दि.न.प. कार्य शुरू होने से पहले ए.एस.आई. (भा.रा.स्मा.प्रा.) से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्वयं या रियायतग्राही के द्वारा) की व्यवस्था नहीं कर सका। न.दि.न.प. तथा स्व. अ. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा, कि खुदाई कार्य हेतु अनुमति देने से पहले रियायतग्राही ने ए.एस.आई. (या भा.रा.स्मा.प्रा.) से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। परिणामस्वरूप परियोजना को रोकना पड़ा।



एएसआई अनुमति के अभाव में केजी मार्ग पर स्थित ब.स्त.का.पा. का निर्माण कार्य

न.दि.न.प. ने बताया (जनवरी 2015) कि रियायतग्राही अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास गया, किन्तु मामले का समाधान न हो सका क्योंकि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार भारतीय राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (भा.रा.स्मा.प्रा.) को हस्तांतरित कर दिये गये थे, जो कि 30 मार्च 2010 को गठित हुआ। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि रियायतग्राही 2007, अर्थात् भा.रा.स्मा.प्रा. की स्थापना के पूर्व ही अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकता था।

3-14-3-2 08kkfud fofu; eka dk vuj ky u djus ds dkj .k fuf/k ds voj k/ku  
l s ₹ 11-71 dj kM+ dk upl ku

(i) शहरी विकास मंत्रालय ने (जनवरी 2009) कस्तूरबा गांधी मार्ग पर न.दि.न.प. को बहुस्तरीय कार पार्किंग बनाने के लिए भूखण्ड (6143 वर्ग मी. क्षेत्र) ₹ 9.13 करोड़<sup>28</sup> की लागत पर आवंटित किया। आवंटन की शर्तों के अनुसार, भूमि हेतु भुगतान, आवंटन की तिथि से देय हो गया। न.दि.न.प. को भूमि के अधिग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर भवन का निर्माण करना था व अग्रिम में भूमि के किराये का भुगतान करना था, चाहे किराये की माँग की जाए या नहीं शर्तों का पालन न करने पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा जाँच, हालाँकि, दर्शाती है कि न.दि.न.प. ने जनवरी 2010 के बाद भूमि के किराये का भुगतान नहीं किया जो जनवरी 2015 तक कुल ₹ 1.11 करोड़ हो गया।

(ii) आवंटन से पहले न.दि.न.प. इस भूखण्ड को 'धरातल पार्किंग सुविधा' के रूप में पहले से ही उपयोग कर रही थी और न.दि.न.प. ₹ 14.11 लाख मासिक लाइसेंस शुल्क प्राप्त कर रही थी। दिसम्बर 2007 में भूखण्ड बहुस्तरीय कार पार्किंग के निर्माण हेतु रियायतग्राही को दिया गया। हालाँकि जनवरी 2015 तक ब.स्त.का.पा. का निर्माण पूरा न हो सका। इस प्रकार अप्रैल 2009 से ₹ 9.13 करोड़ अवरूद्ध रहे एवं न.दि.न.प. को 'धरातल पार्किंग' बन्द करने के कारण ₹ 11.71 करोड़<sup>29</sup> का नुकसान हुआ और जमीन के किराये के रूप में ₹ 1.11 करोड़ की देयता संचित हो गई।

न.दि.न.प. ने अपने जवाब में (जनवरी 2015) कहा कि रियायतग्राही एवं न.दि.न.प. ने उच्चतम स्तर से कोशिश की किन्तु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल सका। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रियायतग्राही एवं न.दि.न.प. ने आवश्यक अनुमति प्राप्त करने से पहले खुदाई का काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से प्राथमिकी भी दर्ज हो गई थी।

3-14-3-3 Lo-v- dks Hkx rku ds dkj .k ₹ 1-22 dj kM+ dk 0; FkZ 0; ;

मैसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड इण्डिया (एमएसपीएल) को कस्तूरबा गांधीमार्ग पर ब.स्त.का.पा. हेतु स्व.अ. के रूप में नियुक्त किया गया तथा ठेका करार (आई.ई. ठेका) तीन वर्षों के लिए ₹ 7.09 लाख मासिक पारिश्रमिक पर मई 2008 में हस्ताक्षरित हुआ। लेखापरीक्षा जाँच यह दर्शाती है कि कार्य हेतु स्व.अ. को परियोजना हेतु भूमि आवंटित होने (जनवरी 2009) से पूर्व नियुक्त किया गया जो कि उचित नहीं था।

न.दि.न.प. ने सितम्बर 2010 में आई.ई. का ठेका निलंबित कर दिया और मैसर्स एमएसपीएल को ₹ 2.12 करोड़ (रियायतग्राही के हिस्से के रूप में ₹ 1.06 करोड़ को शामिल करके)

<sup>28</sup> वाणिज्यिक दर पर 25 प्रतिशत भू क्षेत्र (₹ 57960 प्रति वर्ग मी.+2.5 प्रतिशत वार्षिक भूमि किराया), एवं 75 प्रतिशत भूमि अलाभकारी भूमि दर पर (₹ 11,000 प्रति एकड़ + 5 प्रतिशत वार्षिक भूमि किराया)

<sup>29</sup> दिसम्बर 2007 से अक्टूबर 2014 तक ₹14.11 लाख मासिक की दर से परिकलित किया गया

का भुगतान किया। यद्यपि रियायतग्राही ने मई से अगस्त 2010 की अवधि से संबंधित ₹ 0.16 करोड़ की धनराशि वापिस नहीं की। चूंकि परियोजना मई 2010 में रोक दी गई, ₹ 1.22 करोड़ (न.दि.न.प. का हिस्सा + ₹ 0.16 करोड़) का व्यय जो स्व.अ. के भुगतान पर किया गया, व्यर्थ हुआ।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) बताया कि स्व.अ. ने अपने विहित उत्तरदायित्व उचित ढंग से निभाये एवं उसे की गई अदायगी फिजूल नहीं थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्व.अ. भूमि आवंटन से पहले नियुक्त किया गया था एवं कार्य मई 2010 में बन्द कर दिया गया था। तब तक मात्र खुदाई का कार्य पूरा हुआ था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न.दि.न.प. ने परामर्शदाता की नियुक्ति में संहितागत औपचारिकताओं का पालन नहीं किया। चयनित तकनीकी तथा पुनः प्राप्ति प्रणाली में बदलाव की अनुमति देकर रियायतग्राही को अनुचित लाभ दिया गया। प्रचालन व अनुरक्षण की निगरानी हेतु कोई आई.ई. नियुक्त नहीं किया गया। रियायतग्राही ने नि.प.स.ति. का ध्यान न रखकर ₹ 96.36 लाख रियायत शुल्क कम जमा किया। सांविधिक विनिर्देशों का पालन न करने के कारण क.गा.मा. के ब.स्त.का.पा. का कार्य स्थगित हुआ जिससे ₹ 9.13 करोड़ अवरूद्ध हुए और बंद की गई धरातल पार्किंग के कारण ₹ 11.71 करोड़ का घाटा हुआ। न.दि.न.प. ने स्थगित परियोजनाओं के लिए आई.ई. के शुल्क पर ₹ 1.22 करोड़ का अपव्यय किया।

मामला सरकार को दिसंबर 2014 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था, (अप्रैल 2015)।

3-15 ₹ 73-85 yk[k dk fu"Qy 0; ;

fn-t-cks }kjk fu-vk-l w dh Loh-fr vkj I kš s x; s dk; l ds fy, ck/kkerā dk; LFky dh mi yC/krk dks I fuf' Pkr djkus ea nj nE' krk ds vHkko eā I host j kbC tx eu dh ifj; kst uk dks chp ea NkMuk i Mk ₹ 73-85 yk[k dk fu"Qy 0; ; gq/kA

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली 2012 की धारा 15.1 (2) के अनुसार निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) की स्वीकृति से पूर्व निम्नलिखित वांछनीय है (i) बाधामुक्त कार्य-स्थल की उपलब्धता, निधि, स्थानीय निकायों से निर्माण योजना की स्वीकृति, (ii) ठेकेदारों को जारी माल उपलब्ध होने की पुष्टि (iii) नींव के लिये संरचना ड्राइंग और (iv) सभी सेवाओं के लिए अभिन्यास योजना।

कार्यकारी अभियन्ता (नि.) ड्रेनेज-III, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में अवधि 2005-2014 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जाँच ने दर्शाया कि सितम्बर 2007 में ₹ 1.02 करोड़ की निविदा राशि के विरुद्ध 'आजादपुर एसपीएस से कोरोनेशन पिलर एसटीपी तक 350 मि.

मी. व्यास की डी.आई./सी.आई. की मेन राइजिंग को उपलब्ध कराने, बिछाने और जोड़ने का कार्य ₹ 1.25 करोड़ की लागत पर सौंपा गया। एकत्रित सीवेज को आजादपुर एसपीएस (कमांड एरिया - दि.न.नि. कॉलोनी आजादपुर, नानीवाला बाग और आजादपुर व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स) से कोरोनाशन पिलर एसटीपी तक ले जाने के लिए 350 मि.मी. व्यास के 2910 मीटर लम्बे डी.आई. पाईप को उपलब्ध कराने तथा बिछाने का कार्य कार्यक्षेत्र में शामिल था। कार्य के प्रारम्भ और समाप्ति की निर्धारित तिथि क्रमशः 26 नवम्बर 2007 और 25 मई 2008 थी। ठेकेदार ने वास्तव में 01 फरवरी 2008 को कार्य शुरू किया था। कार्य के शुरू होने में विलम्ब के कारण अभिलेखों में नहीं था। यद्यपि, 2277.20 मीटर लम्बाई की पाईप लाइन को उपलब्ध संरेखण में डालने के बाद, रामेश्वर नगर के निवासी कल्याण संघ के द्वारा विरोध उत्पन्न करने, मानसून सत्र के दौरान दि.न.नि. के क्षेत्र कर्मचारी द्वारा खुदाई कार्य को रोकने एवं जहाँगीरपुरी नाले पर लो.नि.वि. के कार्य और उस क्षेत्र में पुलों के निर्माण के साथ दिल्ली मेट्रो के कार्य के कारण कार्य को बन्द कर दिया गया (अगस्त 2008)।

जब ठेकेदार ने अनुबंध को खत्म करने व ₹ 6.25 लाख की जमानत राशि के साथ शेष राशि के भुगतान का अनुरोध किया, (4 अगस्त 2008) दि.ज.बो. ने ठेकेदार को अगस्त 2008 तक बाधामुक्त कार्यस्थल सौंपने के लिए आश्वस्त किया लेकिन अपने आश्वासन को पूरा करने में विफल रहे। अंत में जब दि.ज.बो. ने अक्टूबर 2008 में कार्य करने की अनुमति दी तो ठेकेदार ने शेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए ₹ 1.25 करोड़ की प्रारंभिक लागत के विरुद्ध ₹ 2.45 करोड़ (निविदा लागत के ऊपर 140 प्रतिशत) की माँग की। उच्च दरें दि.ज.बो. द्वारा नहीं मानी गयीं और अनुबंध को बन्द करने का निश्चय (अप्रैल 2009) किया गया। ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के लिये ₹ 73.85 लाख का भुगतान किया गया और ₹ 6.25 लाख की जमानत राशि भी वापिस की गयी। शेष कार्य जनवरी 2015 तक नहीं सौंपे गये, हालांकि पाँच से अधिक वर्ष व्यतीत हो गये थे, क्योंकि कार्य अप्रैल 2009 में बंद किया गया था।

इस प्रकार, दि.ज.बो. की ओर से नि.आ.सू. की स्वीकृति से पूर्व और सौंपे गये कार्यों से पहले बाधामुक्त कार्य स्थलों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में दूरदर्शिता की कमी के कारण, परियोजना को बीच में छोड़ना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 73.85 लाख का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि आजादपुर एस.पी.एस. से कोरोनाशन पिलर एस.टी.पी. तक सीवेज का परिवहन, जैसाकि विचारित था, नहीं किया जा सका।


अपने प्रत्युत्तर में विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि अवरोधों का पूर्वानुमान संभव नहीं था, क्योंकि सम्बन्धित एजेंसियों ने संभावित घटनाओं से उन्हें कभी अवगत नहीं कराया। दिल्ली में, राष्ट्रमण्डल खेल 2010 की अवधि के दौरान युद्ध स्तर पर विकास कार्य किए जाने के कारण कार्य में देरी हुई और अंततः रोक दिया गया था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि के.लो.नि.वि. नियमावली 2012 स्पष्ट रूप से

अनुबंध करती है कि कार्य हेतु नि.आ.सू. का अनुमोदन पहले से प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रमण्डल खेल अक्टूबर 2010 में आयोजित किए गए, परन्तु शेष कार्य, यहाँ तक की खेलों के चार वर्ष पूर्ण होने के बाद भी सौंपा नहीं गया।

मामला अगस्त 2014 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

ubZ fnYyh  
fnukad% 01 tu 2015

  
श्री. अनंद  
1/11/2015  
i /kku egkys[ kkdj %ys[ kki jh{kk%] fnYyh

i frgLrk{kfj r

ubZ fnYyh  
fnukad% 01 tu 2015

  
श्री. अनंद  
1/11/2015  
Hkkj r ds fu; æ-d-egkys[ kki jh{kd